



DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN



M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

सितम्बर-2022

करेंट अफेयर्स मैगजीन


- ☞ पर्यावरण एवं परिस्थितिकी
- ☞ राजव्यवस्था एवं प्रशासन
- ☞ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- ☞ कला और संस्कृति
- ☞ अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध
- ☞ सामाजिक मुद्दे
- ☞ आंतरिक सुरक्षा
- ☞ अर्थव्यवस्था
- ☞ विविध

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

R-26, Zone-II, Opp Railway track, M.P. Nagar, Bhopal

Call us

0755-7967814, 7967718, +918319618002



RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

सितम्बर -2022

करेंट अफेयर्स

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ सं.
कला और संस्कृति	1-3
पिंगली वेंकैया/वेंकय्या की जयंती	
विश्व संस्कृत दिवस	
राजनीति	4-14
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति	
अध्यक्ष की शक्ति	
राजनीतिक दलों का पंजीकरण	
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश	
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम	
स्वतंत्रता दिवस समारोह	
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	15-40
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022	
इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	
भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान	
महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	
रामसर साइट के रूप में 10 और आर्द्रभूमि	
बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली	
विश्व हाथी दिवस	
स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल	
अर्थव्यवस्था	41-61
MSME से अनिवार्य खरीद	
जुलाई में 6 अरब UPI लेनदेन	

75000 स्टार्ट-अप को मान्यता मिली
उचित और लाभकारी मूल्य
लोकसभा में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित
आईटी में कर्मचारियों की संख्या
डिजिटल लेनदेन
पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत
REC ने डिस्कॉम को 22,000 करोड़ मंजूर किए
कोयले की मांग और आपूर्ति
'फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढीकरण (SPI)' योजना के लिए दिशानिर्देश
भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) – 2030
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0
नैनो यूरिया उत्पादन और बिक्री

विज्ञान और तकनीक

62-73

AI (Artificial Intelligence) प्रौद्योगिकी की क्षमताओं में वृद्धि
API (Active Pharmaceutical Ingredients) का आयात और घरेलू उत्पादन
5जी स्पेक्ट्रम नीलामी
बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर नैनोकम्पोजिट
ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम (RSF)
सरकार ने स्वदेशी 5G टेस्ट बेड के उपयोग की पेशकश की
टाइप इन् सुपरनोवा (SNe)
देशी भारतीय बीजों की गुणवत्ता का संरक्षण

सामाजिक मुद्दे

74-91

विद्यालय नवाचार परिषद (School Innovation Council-SIC)
तंबाकू किसानों के लिए विकल्प
MSME मंत्रालय का उद्यम पोर्टल
NIESBUD और HUL ने MoU पर हस्ताक्षर किए
स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान
जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मेटा
फोर्टिफाइड चावल का वितरण
स्किल इंडिया ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) लॉन्च किया
कृषि उड़ान 2.0
खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
GeM पोर्टल पर सहकारिता के बोर्डिंग पर
PMAY-U 31 दिसंबर 2024 तक

अंतरराष्ट्रीय संबंध

92-97

RIMPAC-22

भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति (India-Mauritius High-Powered Joint Trade Committee)

वज्र प्रहार अभ्यास 2022

भारत की G20 प्रेसीडेंसी

द्विपक्षीय अभ्यास 'उदारशक्ति'

अभ्यास अल नजफ IV

आंतरिक सुरक्षा

98-99

भारतीय सेना ने लॉन्च किया "हिम-ड्रोन-ए-थॉन"

विविध

100-102

भारतीय दवाओं के लिए फार्माकोपिया आयोग

ग्रैंड ओनियन चोलेंज

अकासा एयर का परिचालन

भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की मरम्मत

भारत का पहला खारा जल लैम्प

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY




RAO'S ACADEMY

पिंगली वेंकैया/वेंकय्या की जयंती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

पिंगली वेंकय्या के बारे में:-



- वेंकय्या का जन्म 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था।
- वह ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए और दक्षिण अफ्रीका में थे जहां वे महात्मा गांधी से मिले, उनके शिष्य बने और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
- भारत लौटने के बाद, उन्होंने 1916 में 30 विभिन्न डिजाइनों वाली झंडों की एक पुस्तक प्रकाशित की।
- उन्होंने महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखकर उन्हें राष्ट्रीय ध्वज रखने के अपने विचार के बारे में सूचित किया और उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में इसके बारे में बात की।
- 1921 में, विजयवाड़ा में एक बैठक में, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने वेंकय्या के डिजाइन को मंजूरी दी।
- पहले डिजाइन में केवल दो बैंड-लाल और हरा- और एक चरखा शामिल था, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर, वेंकैया ने एक सफेद बैंड जोड़ा।
- इसके बाद, लाल रंग की पट्टी को भगवा रंग में बदल दिया गया और अशोक चक्र को चरखे से बदल

दिया गया।

- 4 जुलाई 1963 को वेंकैया का निधन हो गया।
- 2009 में, उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें 2014 में भारत रत्न के लिए सिफारिश की थी।

विश्व संस्कृत दिवस

विश्व संस्कृत दिवस, जिसे "विश्व संस्कृत दिन" भी कहा जाता है, हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

- इस वर्ष भाषा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया।

॥ संस्कृतम् ॥

प्रमुख बिंदु

- यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद वर्ष 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था।
- संस्कृत संगठन संस्कृत भारती (NGO) दिन को बढ़ावा देने में शामिल है।

संस्कृत के बारे में

- संस्कृत भारत की एक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है जिसमें विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद का संकलन किया गया था।
- वेद 6500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विभिन्न विद्वानों द्वारा दिनांकित हैं।
- इससे पहले संस्कृत भाषा अपनी अभिव्यंजक क्षमता के अनुसार विकसित हुई होगी।



- पाणिनि (500 ई.पू.) संस्कृत भाषा के विकास में एक महान मील का पत्थर था। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की मास्टर बुक लिखी जो बाद की अवधि के लिए बीकन के रूप में काम करती थी। साहित्यिक संस्कृत और बोली जाने वाली संस्कृत दोनों ने पाणिनि की भाषा प्रणाली का अनुसरण किया।
- संस्कृत को इंडो-आर्यन या इंडो-जर्मनिक भाषाओं के परिवार से संबंधित कहा जाता है जिसमें ग्रीक, लैटिन और अन्य समान भाषाएं शामिल हैं।
- विलियम जोन्स, जो पहले से ही ग्रीक और लैटिन से परिचित थे, जब संस्कृत के संपर्क में आए, तो उन्होंने टिप्पणी की कि संस्कृत ग्रीक की तुलना में अधिक परिपूर्ण है, लैटिन से अधिक प्रचुर है और दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है।
- संस्कृत को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आधुनिक भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है।
- संस्कृत भारत में बाद की भाषाओं और साहित्य का स्रोत रहा है। पाली और प्राकृत का विकास सबसे पहले संस्कृत से हुआ था।
- संस्कृत देवनागरी लिपि और विभिन्न क्षेत्रीय लिपियों दोनों में लिखी गई है, जैसे:
 - ◆ उत्तर से शारदा (कश्मीर),
 - ◆ पूर्व में बांग्ला (बंगाली),
 - ◆ पश्चिम में गुजराती,
 - ◆ ग्रंथ वर्णमाला सहित विभिन्न दक्षिणी लिपियाँ, जो विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथों के लिए तैयार की गई थीं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY

भारत के 14वें उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ ने शपथ ली।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने श्री जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई।

उपराष्ट्रपति कार्यालय के बारे में:-

- उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद होता है अर्थात् उन्हें वरीयता के आधिकारिक अनुक्रम में राष्ट्रपति के बाद रैंक दिया गया है।
- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति से चुना जाता है।
 - ◆ वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- योग्यताएं: उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य रूप से पूरी करनी चाहिए:
 - ◆ उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - ◆ उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
 - ◆ उसे राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए।
 - ◆ उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।
- राज्य सभा के पदेन अधिकारी को सभापति के रूप में जाना जाता है।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
- किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्य सभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है।
- अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
 - ◆ हालांकि, वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र को संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
 - ◆ उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है।
- राज्यसभा के सभापति को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए।
- एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, राज्य सभा में सभापति की शक्तियाँ और कार्य लोक सभा में अध्यक्ष के समान होते हैं।
- लेकिन अध्यक्ष की तरह, सभापति भी पहली बार में मतदान नहीं कर सकते।
 - ◆ वह भी किसी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में मतों के बराबरी की स्थिति आने पर निर्णायक मतदान कर सकता है।
- सभापति के वेतन और भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
 - ◆ उनका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर प्रभारित है और इस प्रकार संसद के वार्षिक मतदान

के अधीन नहीं हैं।

- किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, वह राज्य सभा के सभापति को देय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है।
- ◆ लेकिन उन्हें ऐसे समय में राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:-

- अनुच्छेद 63: भारत के उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा
- अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना
- अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का चुनाव
- अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
- अनुच्छेद 69: उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान

अध्यक्ष की शक्ति

हाल ही में, सदन के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सदन के अध्यक्ष की भूमिका अपनी शक्ति के संबंध में बहस में थी

- C.P. संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों में अध्यक्ष की भूमिका की जांच के लिए 2019 में जोशी समिति का भी गठन किया गया था।
- समिति ने सिफारिश की कि राजनीतिक दल को दल-बदल विरोधी के तहत सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की भी शक्ति होनी चाहिए।
- ◆ वर्तमान में, दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की शक्ति केवल अध्यक्ष के पास है।

दल-बदल विरोधी कानून क्या है?

- दल-बदल विरोधी कानून व्यक्तिगत सांसदों/विधायकों को निर्धारित नियमों का उलंघन करते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़ने के लिए दंडित करता है।
- संसद ने इसे 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा।
- यह 1967 के आम चुनावों के बाद पार्टी से अलग विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।

10वीं अनुसूची के प्रावधान: दल-बदल के लिए आधार:-

- यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि पार्टी का सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
- यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- दलबदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय अध्यक्ष या सदन के सभापति को भेजा जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से संबंधित कार्यवाही को मामले के आधार पर संसद या राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही माना जाता है।

न्यायिक समीक्षा:-

- प्रारंभ में, विधि के अनुसार, पीठासीन अधिकारी किसी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था।
- परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में इसे रद्द कर दिया था। यह भी कहा गया कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना निर्णय नहीं देंगे तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

कुछ राज्य विधानसभाओं में आगामी चुनावों के साथ, राजनीतिक दलों का पंजीकरण चर्चा में रहा है।

प्रमुख बिंदु:-

- पंजीकरण चाहने वाले किसी भी दल को इसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
- सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है लेकिन चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने का कुछ लाभ होता है।
- यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित) के प्रावधानों का लाभ उठाने को संदर्भित करता है।
- चुनाव आयोग के पास पंजीकृत किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को विशुद्ध रूप से स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में मुफ्त चुनाव चिह्नों के आवंटन के मामले में वरीयता मिलती है।
- ये पंजीकृत राजनीतिक दल, समय के साथ, एक 'राज्य दल' या 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।
- चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में कैसे मान्यता देता है?
- किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी यदि:-
- आम चुनावों या विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य की विधान सभा में 3 प्रतिशत सीटें (न्यूनतम 3 सीटों के अधीन) जीती हैं।
- लोकसभा आम चुनावों के दौरान राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों के लिए इसने 1 लोकसभा सीट जीती है।
- लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में 1 लोकसभा या 2 विधान सभा सीटें जीतने के अलावा, इसने राज्य में न्यूनतम 6 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं।
- लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में इसे राज्य में 8 प्रतिशत वोट मिले हैं।

राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें:-

- पार्टी ने कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा (11 सीटों) में 2 फीसदी सीटें जीती हो।
- पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा चार राज्यों में 6 प्रतिशत वोट मिले हो।
- पार्टी ने चार या अधिक राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता दी गई हो।

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश

भारत के संविधान के अनुच्छेद-124 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

- न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।



प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- न्यायमूर्ति ललित, बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे।
 - ◆ यह न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, जिन्होंने 1971 में 13वें CJI के रूप में कार्य किया।
- न्यायमूर्ति ललित ने दो कार्यकालों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के बारे में

- भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था।
- यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित, भारत के संघीय न्यायालय के स्थान पर आया।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक है।
- ऐसा इसलिए है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश क्राउन की जगह ले ली है।
- संविधान के भाग-V में अनुच्छेद-124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।

परामर्श को लेकर विवाद

- उपरोक्त प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट ने 'परामर्श' शब्द की अलग-अलग व्याख्या की है।
- प्रथम न्यायाधीशों के मामले (1982) में, न्यायालय ने माना कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका तात्पर्य केवल विचारों के आदान-प्रदान से है।
- लेकिन, दूसरे न्यायाधीशों के मामले (1993) में, न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को उलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति से बदल दिया।
- इसलिए, इसने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।
- लेकिन, मुख्य न्यायाधीश अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करने के बाद मामले पर अपनी सलाह देंगे।
- इसी तरह, तीसरे न्यायाधीशों के मामले 2 (1998) में, न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए 'बहुलता न्यायाधीशों के परामर्श' की आवश्यकता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है।
- उसे उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।
 - ◆ यदि दो न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं, तो भी उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।
- अदालत ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का पालन किए बिना की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- 1950 से 1973 तक, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रथा रही है।
- इस स्थापित परंपरा का 1973 में उल्लंघन किया गया था जब ए एन रे को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 1977 में फिर से, एम यू बेग को तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश को हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के इस विवेक में कटौती की गई थी।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों की योग्यता

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे किसी उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का पांच वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए था; या
- उसे दस साल तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) का अधिवक्ता होना चाहिए था;

- राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है।
- हालांकि, यह इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान करता है:
 - ◆ वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है।
 - ◆ उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निर्धारित किया जाना है।
 - ◆ वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
 - ◆ उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को हटाना:

- सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसे उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए एक अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो।
- अभिभाषण का समर्थन संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से होना चाहिए (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत)।
- निष्कासन के दो आधार हैं- साबित कदाचार या अक्षमता।
- जज इंकवायरी एक्ट (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है:
 - ◆ 100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्य सभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना है।
 - ◆ अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से इंकार कर सकते हैं।
 - ◆ यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष/सभापति को आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करना होता है।

समिति में

- मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
 - एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और
 - एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होना चाहिए।
 - ◆ यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या अक्षमता से पीड़ित पाती है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
 - ◆ संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद, न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है।
 - ◆ अंत में, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करता है।
- अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

- महाभियोग का पहला और एकमात्र मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1991-1993) का है।
- हालांकि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सका क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।

न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम

हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए एक नई योजना "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम" को मंजूरी दी थी।

- इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए सिफारिशें हैं।

- योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं जैसे:
 - ◆ महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, और परिवार कल्याण सहित);
 - ◆ व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से);
 - ◆ बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित); तथा
 - ◆ कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन के साथ-साथ रुचि के अन्य विषयों में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों को शामिल करने सहित सतत शिक्षा।
- योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवा द्वारा लागू किया जाएगा।
- स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन आमने-सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है।
- सभी सामग्री और संसाधन आसानी से सुलभ डिजिटल मोड, जैसे टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित फ्री/ओपन-सोर्स ऐप/पोर्टल इत्यादि के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक आसान पहुंच के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- यह योजना देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोगों को कवर करेगी।
- वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्रति वर्ष 1.00 करोड़ की दर से 5 (पांच) करोड़ शिक्षार्थी हैं।
- यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और छप्पै के सहयोग से "ऑनलाइन शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन प्रणाली (OTLAS)" का उपयोग करके किया जा सकता है।
- एक शिक्षार्थी नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी के साथ प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण करा सकता है।
- "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम" का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है जिसमें शामिल हैं:
 - ◆ वित्त वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा होगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- ◆ योजना के कार्यान्वयन के लिए स्कूल इकाई होगा।
- ◆ लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों (VT) के सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कूल।

- ◆ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवोन्मेषी गतिविधियों को शुरू करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
- ◆ योजना के व्यापक कवरेज के लिए प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
- ◆ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को दिखाएगा।
- ◆ CSR/परोपकारी सहायता प्राप्त हो सकती है।
- ◆ साक्षरता में प्राथमिकता और संतुष्टि- 15-35 आयु वर्ग को पहले संतुष्ट किया जाएगा और उसके बाद 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को।
- ◆ बालिकाओं और महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (दिव्यार/मजदूर/आदि) को श्रेणियों के संदर्भ में प्राथमिकता दी जाएगी जो वयस्क शिक्षा से पर्याप्त और तुरंत लाभ उठा सकते हैं।
- **स्थान/क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा:**
 - ◆ नीति आयोग के सभी आकांक्षी जिले,
 - ◆ राष्ट्रीय/राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले,
 - ◆ 2011 की जनगणना के अनुसार 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले,
 - ◆ बड़ी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक आबादी वाले जिले/ब्लॉक, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले।
- साक्षरता फैलाने के लिए जनांदोलन के रूप में न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम का उपयोग किया जाएगा।
 - ◆ UDISE के तहत पंजीकृत लगभग 7 लाख स्कूलों के तीन करोड़ छात्र / बच्चे, सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेंगे।
 - ◆ शिक्षक शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुमानित 20 लाख छात्र स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।
 - ◆ पंचायती राज संस्थाओं, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होगा।
 - ◆ समुदाय की भागीदारी, स्वैच्छिकता के माध्यम से और विद्याजलि पोर्टल के माध्यम से परोपकारी/CSR संगठनों की भागीदारी होगी।
- वास्तविक जीवन की सीख और कार्यात्मक साक्षरता के कौशल को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक प्रारूप का उपयोग करके साक्षरता का आकलन किया जाएगा।
 - ◆ मांग पर आकलन भी ओटीएलएएस के माध्यम से किया जाएगा और NIOS और NLMA द्वारा संयुक्त रूप से ई-हस्ताक्षरित ई-प्रमाण पत्र शिक्षार्थी को जारी किया जाएगा।

अन्य परिवर्तन:

प्रौढ़ शिक्षा अब देश में सभी के लिए शिक्षा' है।

- एक प्रगतिशील कदम के रूप में, यह भी निर्णय लिया गया है कि अब से मंत्रालय द्वारा "वयस्क शिक्षा" के स्थान पर "सभी के लिए शिक्षा" शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

UDISE+ के बारे में

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस" (UDISE+) शिक्षा मंत्रालय के तहत एक आवेदन है।

- UDISE+ के पास प्री-प्राइमरी से बारहवीं तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों से जानकारी एकत्र करने का अधिदेश है।

- UDISE+ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और की गई प्रगति के आकलन के लिए किया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

भारत का स्वतंत्रता दिवस, जो हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में धार्मिक रूप से मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवसों की सूची में बेहतर स्थान रखता है।

- यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की सुबह की याद दिलाता है, 200 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्ति के युग की शुरुआत।



प्रमुख बिंदु

- 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था, और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी।
- भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना नियति के साथ एक प्रयास था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबा और थकाऊ था।
- इस संघर्ष ने कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को देखा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
- 15 अगस्त 1947 को, भारत के प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया।
- कुछ मायनों में यह एक रिवाज बन गया और प्रत्येक बाद के स्वतंत्रता दिवस पर, वर्तमान प्रधान मंत्री देश का झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को एक संबोधन देते हैं।

1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर एक नजर

- 20 फरवरी, 1947 को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा;
 - ◆ जिसके बाद सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया।
- 3 जून 1947 को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की संविधान सभा (1946 में गठित) द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
- उसी दिन (3 जून, 1947) भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना को सामने रखा, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है।

- इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) को अधिनियमित करके योजना को तत्काल प्रभाव दिया गया।
- **अधिनियम की विशेषताएं:**
 - ◆ इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
 - ◆ इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों के निर्माण का प्रावधान किया।
 - ◆ इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए, एक गवर्नर-जनरल पद का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था।
 - ◆ ब्रिटेन में महामहिम की सरकार की भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
 - ◆ इसने दो अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने का अधिकार दिया।
 - ◆ संविधान सभाएं ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को रद्द कर सकती हैं, जिसमें इंडीज भी शामिल है, जब तक कि नए संविधानों का मसौदा तैयार और लागू नहीं किया जाता।
 - ◆ 15 अगस्त, 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम नए अधिराज्यों में से किसी पर भी लागू नहीं होना था, जब तक कि अधिराज्य की विधायिका के किसी कानून द्वारा उस पर विस्तार नहीं किया जाता।
 - ◆ इसने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया और उनके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया।
 - ◆ इसने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की घोषणा की।
 - ◆ इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की।
 - ◆ इसने नए संविधानों के निर्माण तक भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन के लिए प्रावधान किया। हालांकि अधिराज्यों को अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था।
 - ◆ इसने ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों को वीटो करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने की मांग की।
 - ◆ लेकिन, यह अधिकार गवर्नर-जनरल के लिए सुरक्षित था।
 - ◆ गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का पूरा अधिकार होगा।
 - ◆ इसने भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुखों के रूप में नामित किया।
 - ◆ उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया था।
 - ◆ इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया।
 - ◆ इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया।
 - ◆ 15 अगस्त, 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्य उन सभी लाभों का आनंद लेते रहेंगे जिनके

वे उस समय तक हकदार थे।

- 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि में, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और सत्ता भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों को हस्तांतरित कर दी गई।
- लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
- 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बनी।

स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में (1947)

सदस्य	पोर्टफोलियो धारित
जवाहरलाल नेहरू	प्रधान मंत्री; विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध; वैज्ञानिक अनुसंधान
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण; राज्य अमेरिका
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	रेलवे और परिवहन
आर.के. शनमुगम चेट्टी	फाइनेंस
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	कानून
जगजीवन राम	लेबर
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
राज कुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
सी.एच. भाभा	कॉमर्स
रफी अहमद किदवई	संचार
डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी	उद्योग और आपूर्ति
वी.एन. गाडगिल	वर्क्स, माइन्स एंड पावर

RAO'S ACADEMY

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पारित किया, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करना है।

- विधेयक अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक निम्नलिखित को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है:-

अंटार्कटिक संधि,

- ◆ अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन,
- ◆ अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल ।
- विधेयक का उद्देश्य खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा पाने के साथ-साथ क्षेत्र का असैन्यीकरण करना है।
- इसका उद्देश्य यह भी है कि इस क्षेत्र में कोई परमाणु परीक्षण/विस्फोट न हो।
- विधेयक सुस्थापित कानूनी तंत्रों के माध्यम से भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नीति और नियामक ढांचा प्रदान करता है।
- यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कुशल और वैकल्पिक संचालन में मदद करेगा।
- यह बढ़ते अंटार्कटिक पर्यटन के प्रबंधन में भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को भी सुगम बनाएगा,
 - ◆ अंटार्कटिक जल में मात्स्यिकी संसाधनों का सतत विकास करने में मदद करेगा।
- यह अंतरराष्ट्रीय दृश्यता बढ़ाने, ध्रुवीय क्षेत्र के शासन में भारत की विश्वसनीयता में भी मदद करेगा। यह बदले में वैज्ञानिक और रसद क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देगा।
- इस तरह के कानूनों को लागू करने से अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में किए गए किसी भी विवाद या अपराधों से निपटने के लिए भारत के न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।
 - ◆ इस प्रकार का विधान नागरिकों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नीतियों के प्रति बाध्य करेगा।
 - ◆ यह विश्व स्तर पर विश्वसनीयता बनाने और देश की स्थिति को बढ़ाने में भी उपयोगी होगा।
- विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (IAA) की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होगा।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव IIA के अध्यक्ष होंगे।
 - ◆ IAA में संबंधित भारत के मंत्रालयों के आधिकारिक सदस्य होंगे और निर्णय सर्वसम्मति से होंगे।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:-

- प्रयोज्यता (Applicability):
 - ◆ बिल के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है।

- केंद्रीय समिति (Central committee):
 - ◆ केंद्र सरकार अंटार्कटिक क्षेत्र के शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी।
 - ◆ समिति की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव करेंगे।
 - ◆ 10 सदस्य, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों, विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों से मनोनीत किए जाएंगे।
 - ◆ इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और भू-राजनीतिक क्षेत्रों के दो विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा।
- समिति के कार्यों में शामिल हैं:
 - ◆ विभिन्न गतिविधियों के लिए परमिट प्रदान करना,
 - ◆ अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना,
 - ◆ संधि, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना,
 - ◆ अंटार्कटिका में गतिविधियों के लिए अन्य पक्षों के साथ शुल्क पर बातचीत करना शामिल है।
- समिति द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले, आवेदक को प्रस्तावित गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना होगा।
- इसके अलावा, एक अनुमति तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि समिति द्वारा अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार नहीं की जाती है।
- प्रतिबंधित गतिविधियां: बिल अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - ◆ परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान,
 - ◆ गैर-बाँझ मिट्टी का परिचय, और
 - ◆ समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ का निर्वहन जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
- अपराध और दंड:
 - ◆ बिल अपने प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड भी निर्दिष्ट करता है।
- केंद्र सरकार विधेयक के तहत एक या अधिक सत्र न्यायालयों को नामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है और विधेयक के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट कर सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- भारत में आज अंटार्कटिका में मैत्री (1989 में कमीशन) और भारती (2012 में कमीशन) नामक दो परिचालन अनुसंधान केंद्र हैं।
- भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं।
- न्या-एलेसंड, स्वालबार्ड, आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन के साथ, भारत अब उन राष्ट्रों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर कई शोध केंद्र हैं।
- अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन पर मई 1980 में कैनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे।
 - ◆ इसका उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना था और विशेष रूप से, अंटार्कटिका में समुद्री जीवन संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए करना था।
- भारत ने जून, 1985 में कन्वेंशन की पुष्टि की और उस कन्वेंशन के तहत अंटार्कटिक समुद्री जीवन

संसाधनों के संरक्षण आयोग का सदस्य है।

- अक्टूबर 1991 में मैड्रिड में अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
 - ◆ इसका उद्देश्य अंटार्कटिक संधि प्रणाली को मजबूत करना था
 - ◆ अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित और संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए एक व्यापक व्यवस्था के विकास के लिए।

भारत ने जनवरी 1998 में अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

अंटार्कटिका के बारे में:-




- अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में एक ठंडा, सुदूर क्षेत्र है।
- अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
 - ◆ यह ओशिनिया और यूरोप दोनों से बड़ा है।
- हालाँकि इस मायने में अंटार्कटिका एक अनूठा महाद्वीप है कि इसकी कोई मूल आबादी नहीं है।
- अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, हालाँकि सात देश इसके अलग-अलग हिस्सों का दावा करते हैं: न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना।

अंटार्कटिका: भौतिक भूगोल

- अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर है।
- यह पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल टुकड़ा है।
- यह बर्फ की चादर महाद्वीप के बाहर भी फैली हुई है जब बर्फ और यहाँ हिम अपने चरम पर होते हैं।
- बर्फ की सतह का आकार नाटकीय रूप से गर्मियों के अंत में लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से बढ़कर सर्दियों तक लगभग 19 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाता है।
- बर्फ की चादर की वृद्धि मुख्य रूप से तटीय बर्फीले क्षेत्रों में होती है, मुख्यतः रॉस आइस शेल्फ और गोल आइस शेल्फ।
- अंटार्कटिका में कई पर्वत शिखर हैं, जिनमें ट्रांसांटार्कटिक पर्वत शामिल हैं, जो महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करते हैं।

- इनमें से कुछ शिखर 4,500 मीटर (14,764 फीट) से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
- अंटार्कटिक बर्फ की चादर की ऊंचाई लगभग 2,000 मीटर है और महाद्वीप के केंद्र के पास समुद्र तल से 4,000 मीटर तक पहुंचती है।
- बिना किसी बर्फ के, अंटार्कटिका पहाड़ी द्वीपों के द्वीपसमूह के साथ एक विशाल प्रायद्वीप के रूप में उभरेगा, जिसे लेसर अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है,
 - ◆ ऑस्ट्रेलिया के आकार का एक बड़ा भूभाग, जिसे ग्रेटर अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग भू-विज्ञान हैं।
- ग्रेटर अंटार्कटिका या पूर्वी अंटार्कटिका, पुरानी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है।
 - ◆ लेसर अंटार्कटिका, या वेस्ट अंटार्कटिका, छोटी, ज्वालामुखी और तलछटी चट्टान से बना है।
 - ◆ लेसर अंटार्कटिका, वास्तव में, "रिंग ऑफ फायर" का हिस्सा है।
- अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित माउंट एरेबस, पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है।
- अंटार्कटिका के आसपास के महासागर अंटार्कटिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भौतिक घटक प्रदान करते हैं।
 - ◆ अंटार्कटिका के आसपास का पानी अपेक्षाकृत गहरा है, जो 4,000 से 5,000 मीटर तक पहुंचता है।



जलवायु: अंटार्कटिका

- अंटार्कटिका की जलवायु अत्यंत ठंडी, शुष्क है।
- अंटार्कटिका के तट पर सर्दी का तापमान आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
- गर्मियों के दौरान, तटीय क्षेत्र 0°C के आसपास मँडराते हैं लेकिन तापमान 9°C तक पहुँच सकते हैं।
- पर्वतीय, आंतरिक क्षेत्रों में, तापमान अधिक ठंडा होता है, सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है।

- 1983 में रूस के वोस्तोक रिसर्च स्टेशन ने पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया: -89.2 डिग्री सेल्सियस (-128.6 डिग्री फारेनहाइट)।
- 2010 में लिए गए उपग्रह डेटा का उपयोग करके और भी कम तापमान मापा गया: -93.2°C (-135.8°F)
- अंटार्कटिक में वर्षा को मापना कठिन है।
 - ◆ यह हमेशा बर्फ के रूप में गिरता है।
 - ◆ माना जाता है कि अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में हर साल केवल 50 से 100 मिलीमीटर (2-4 इंच) पानी (बर्फ के रूप में) प्राप्त होता है।
 - ◆ अंटार्कटिक मरुस्थल विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है।
- वैश्विक जलवायु प्रक्रियाओं में अंटार्कटिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
 - ◆ यह पृथ्वी के ताप संतुलन का एक अभिन्न अंग है।

वनस्पति और जीव: अंटार्कटिका

- अंटार्कटिका में उगने वाली वनस्पति की कुछ प्रजातियों में लाइकेन, काई और स्थलीय शैवाल शामिल हैं।
- इस वनस्पति का अधिकांश भाग अंटार्कटिका के उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में उगता है, जबकि आंतरिक भाग में बहुत कम वनस्पति होती है।
- हालाँकि, समुद्र में मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की भरमार है।
 - ◆ वास्तव में, अंटार्कटिका के आसपास के जल ग्रह पर सबसे विविध हैं।
 - ◆ अपवेलिंग फाइटोप्लांकटन और शैवाल को पनपने देता है।
 - ◆ हजारों प्रजातियाँ, जैसे क्रिल, प्लवक को खाती हैं।
 - ◆ ठंडे अंटार्कटिक जल में मछलियाँ और बड़ी संख्या में समुद्री स्तनधारी जीव पनपते हैं।
 - ◆ अंटार्कटिका में ब्लू, फिन, हंपबैक, राइट, मिन्के, सेई और स्पर्म व्हेल की स्वस्थ आबादी है।
 - ◆ अंटार्कटिका का मुख्य जानवर पेंगुइन है। वे ठंडे, तटीय जल के अनुकूल हो गए हैं।

नोट: अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। हालाँकि, स्थायी मानव बस्तियाँ हैं, जहाँ वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी रहते हैं।

इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इंडियन ऑयल ने भारत में अपनी ऐतिहासिक सीमा में 'चीता' के अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- इंडियन ऑयल पहला कॉर्पोरेट है जो CSR के तहत "प्रोजेक्ट चीता" का समर्थन करने के लिए आगे आया है।

प्रमुख बिंदु

- यह समझौता ज्ञापन जुलाई 2022 में भारत सरकार और नामीबिया गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के क्रम में है।
- यह भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीते की स्थापना के लिए वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर था।
- इंडियन ऑयल परियोजना के घटकों अर्थात् चीता प्रोजेक्ट के लिए 4 वर्षों में 50.22 करोड़ रुपये का योगदान देगा।
- इस परियोजना में पर्यावास प्रबंधन और संरक्षण, पारिस्थितिकी विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल शामिल होगी।

- यह परियोजना इंडियन ऑयल के मजबूत पर्यावरण विवेक के अनुरूप है और भारत के प्राकृतिक आवास और विरासत के संरक्षण पर कंपनी के फोकस के अनुरूप है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि इंडियन ऑयल ने पिछले साल इंडियन सिंगल हॉर्नड राइनो को अपने शुभंकर के रूप में अपनाया था और तब से, भारत के राइनो संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे रहा है।
- चीता परिचय परियोजना के तहत, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 8-10 चीतों की एक स्रोत आबादी को लाया जाएगा।
- इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पेश किया जाएगा।
- यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार शामिल है।

चीता प्रोजेक्ट परियोजना:

- प्रोजेक्ट चीता, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति को भारत के अपने ऐतिहासिक निवास-स्थल में फिर से स्थापित करना है।
- यह परियोजना इंडियन ऑयल के मजबूत पर्यावरण के अनुरूप है और भारत के प्राकृतिक आवास और विरासत के संरक्षण पर कंपनी के फोकस के अनुरूप है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि इंडियन ऑयल ने पिछले वर्ष इंडियन सिंगल हॉर्नड राइनो को अपने शुभंकर के रूप में अपनाया था और तब से, भारत के राइनो संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे रहा है।
- चीता प्रोजेक्ट परियोजना के तहत, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 8-10 चीतों की एक स्रोत आबादी को लाया जाएगा।
- इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पेश किया जाएगा।
- यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार शामिल है।

भारत में चीता: एक संक्षिप्त इतिहास:-



- चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है जो भारत में विलुप्त हो गया है, इसका मुख्य कारण शिकार और निवास स्थान की हानि है।

- माना जाता है कि कोरिया, मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में भारत में दर्ज अंतिम तीन चीतों को मार डाला था।
- 1952 में, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया।
- भारत में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीतों का सबसे पहला उपलब्ध रिकॉर्ड 12वीं शताब्दी के संस्कृत पाठ मानसोल्ला से मिलता है।
- यह भारत में एक बड़े मांसाहारी जानवर का पहला अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण होगा, हालांकि यह पहली बार नहीं है।
- अफ्रीका से चीतों की खरीद 20वीं सदी में भी हुई थी।
- भावनगर और कोल्हापुर की रियासतें 1918-1939 के बीच चीतों के प्रमुख आयातक थे।

प्रोजेक्ट की मांग

- यदि जंगल में चीतों का पुनः प्रवेश सफल होता है, तो यह एक दशक लंबी प्रक्रिया की परिणति होगी।
- आंध्र प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 1955 में राज्य के दो जिलों में प्रायोगिक आधार पर नीति का सुझाव दिया था।
- 1970 के दशक में, पर्यावरण विभाग ने औपचारिक रूप से ईरान से कुछ चीतों के लिए अनुरोध किया, जिसके पास उस समय 300 एशियाई चीते थे।
- वर्ष 2009 में चीतों को भारत लाने के प्रयासों को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया।
- इसमें चीता के पुनरुत्पादन की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने एक बैठक आयोजित की।
- साथ ही कई स्थलों को चुना गया, जिनमें से कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को सबसे उपयुक्त माना गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में चीता को कुनो-पालपुर में फिर से लाने के आदेश पर रोक लगा दी थी क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को इस मामले की जानकारी नहीं थी।
- 2020 में, सरकार द्वारा एक याचिका का जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अफ्रीकी चीतों को प्रयोगात्मक आधार पर "सावधानीपूर्वक चुने गए स्थान" में पेश किया जा सकता है।

चीता के बारे में:-

- IUCN रेड लिस्ट की स्थिति: संवेदनशील
- वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस
- जंगलों में औसत जीवन काल: 14 वर्ष तक
- शरीर: 3.7 से 4.6 फीट; पूंछ: दो से 2.7 फीट
- वजन: 77 से 143 पाउंड
- चीता दुनिया का सबसे तेज हटी वाला स्थल स्तनपायी है।
- एक चीता केवल तीन सेकंड में शून्य से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।
- माना जाता है कि जंगली चीते लगभग 70 मील प्रति घंटे की गति तक पहुँचने में सक्षम होते हैं - हालाँकि वे उस गति को लगभग 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकते हैं।
- चीते काले धब्बों से ढके अपने तन कोट के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक को एक अद्वितीय पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है ताकि जानवरों को एक दूसरे की पहचान करने में मदद मिल सके।
- शेरों के विपरीत, चीते समूहों में नहीं रहते हैं।
 - ◆ मादा चीता अपने क्षेत्र में रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक का घर बहुत बड़ा होता है।
- इस बीच, नर या तो अकेले होते हैं या एक या दो अन्य नरों के साथ छोटे समूह बनाते हैं।

- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) के तहत, उन्हें 1975 से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार से संरक्षित किया गया है।

कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-



- कुनो मध्य प्रदेश, भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य भारतीय विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है।
- इसकी स्थापना 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में 344.686 किमी² के क्षेत्र के साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी।
 - ◆ इसे कुनो-पालपुर और पालपुर-कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता था।
- कुनो को वर्ष 2018 में वन्यजीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
- मुख्य क्षेत्र एक पत्ती के आकार का है जिसमें कुनो नदी मुख्य केंद्र रीढ़ बनाती है।
- यह नदी न केवल इस संरक्षित क्षेत्र में अपने नाम पर लगातार पानी की आपूर्ति रखने में मदद करती है।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मुख्य रूप से करधई, सलाई, खैर के पेड़ हैं।
- मुख्य जीव प्रजातियां: चित्तीदार हिरण या चीतल, सांभर, चौसिंघा या चार सींग वाले मृग, भारतीय गजेल या चिंकार, गौर या भारतीय बाइसन तथा अन्य।

भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:-

हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दी है।

- अद्यतन NDC जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने की उपलब्धि की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा कि पेरिस समझौते के तहत सहमति हुई है।

प्रमुख बिंदु:-

- भारत ने अक्टूबर 2015 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में अपना राष्ट्रीय स्तर

पर निर्धारित योगदान (INDC) प्रस्तुत किया था।

- अगस्त 2022 के दौरान इसे कैबिनेट द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया है।
- भारत ने 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन (COP26) के 26वें सत्र में अपनी जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए व्यक्त किया।
- यह भारत की जलवायु कार्रवाई के पांच अमृत तत्वों (पंचामृत) को दुनिया के सामने पेश करके था।
- भारत के मौजूदा NDC के लिए यह अद्यतन सीओपी 26 में घोषित 'पंचामृत' को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में बदल देता है।
- यह अपडेट भारत के 2070 तक नेट-जीरो तक पहुंचने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी एक कदम है।

● परिवर्तन:

भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- ◆ 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- ◆ अद्यतन NDC 2021-2030 की अवधि के लिए स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण के लिए रूपरेखा का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- ◆ इसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की कुंजी के रूप में 'जीवन - पर्यावरण के लिए जीवन शैली' के लिए एक जन आंदोलन भी शामिल है।

CoP-21 में भारत का INDC



Cabinet approves new climate policy

India is now committed to achieve new targets to ease burden on climate by the year 2030

INDIA'S UPDATED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION	INDIA'S FIRST NDCs SUBMITTED IN 2015
<p>India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level</p> <p>To promote sustainable lifestyle, 'LIFE' - 'Lifestyle for Environment' as a key to combating climate change" has been added to NDC</p>	<p>Reduce the emissions Intensity of GDP by 33 to 35 percent compared to 2005 levels</p> <p>Cumulative electric power installed capacity from non-fossil sources to reach</p>
<p>Achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by</p> <p>2030</p>	<p>Create an additional carbon sink of 2.5- 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional tree cover</p> <p>40%</p>

- 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।

महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष:-

- हाल के दशकों में उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर अधिक तेजी से गर्म हो रहा है।
- 1951-2015 के दौरान औसत बेसिन-चौड़ा समुद्री सतह तापमान (SST) 0.15 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से गर्म हो रहा है।
- इसी अवधि के दौरान, विश्व स्तर पर औसत SST 0.11 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हुआ।
- इस तेजी से गर्म होने के कारण, पिछली शताब्दी (1874-2004) के दौरान हिंद महासागर में समुद्र का स्तर 1.06-1.75 मिमी/वर्ष की दर से बढ़ रहा था।
- हाल के दशकों (1993-2015) में वृद्धि 3.3 मिमी/वर्ष थी, जो वैश्विक औसत समुद्र स्तर वृद्धि की समान श्रेणी में है।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), जो MoES का एक संबद्ध कार्यालय है, भी तटीय जल की गुणवत्ता पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र कर रहा है।
- NCCR समुद्र के तल पर पानी के स्तंभ और तलछट में समुद्र तट में कूड़े (मुख्य रूप से मेसो, मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक) की मात्रा निर्धारित करने में अनुसंधान गतिविधियां भी चला रहा है।
- ख मानसून के दौरान पूर्वी तट पर माइक्रोप्लास्टिक की प्रचुरता में वृद्धि देखी गई है।
- नदी के मुहाने के पास में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा अधिक थी।
- समुद्र तट पर कूड़े के सर्वेक्षण से पता चला है कि सबसे अधिक संचय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की तुलना में बैकशोर में होता है।
- इसके अलावा, शहरी समुद्र तटों में ग्रामीण समुद्र तटों की तुलना में अधिक संचय दर है।
- समुद्रतट सफाई कार्यक्रम/गतिविधि के अंतर्गत, यह पाया गया कि अधिकांश अपशिष्ट संघटन में एकल उपयोग प्लास्टिक का योगदान था।

रामसर साइट के रूप में 10 और आर्द्रभूमि

भारत देश में 12, 50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 64 स्थलों को बनाने के लिए रामसर साइटों के रूप में नामित 10 और आर्द्रभूमि जोड़ता है।

- 10 नई साइटों में शामिल हैं: तमिलनाडु में छह (6) साइट और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्रत्येक में एक (1)।

प्रमुख बिंदु:-

- रामसर आर्द्रभूमि अब देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 10% है।
- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और मूल्यांकन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संकलित किया गया है।
 - ◆ इसका अनुमान है कि भारत की आर्द्रभूमि लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।
- दो-पांचवें हिस्से से थोड़ा अधिक अंतर्देशीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि हैं और लगभग एक चौथाई तटीय आर्द्रभूमि हैं। भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमि है।
- गुजरात में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल है।

नई रामसर साइट विस्तार से:-

1. कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो 72.04 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है।
- यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी तालुक में स्थित है।
- यह दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे बड़ा रिजर्व है।
- यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा बनने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है।
- इससे लगभग 190 एकड़ धान की सिंचाई होती है।



KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY- FLAMINGOS FEEDING IN THE TANK AREA

2. सतकोसिया गॉर्ज (ओडिशा):

- सतकोसिया ओडिशा में महानदी नदी के ऊपर शानदार घाटी के साथ फैला हुआ है।
- 1976 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित, सतकोसिया एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो पुष्प और जीव प्रजातियों की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- सतकोसिया भारत के दो जैव-भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है; दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट, विशाल जैव विविधता का योगदान करते हैं।
- सतकोसिया गॉर्ज वेटलैंड दलदली और सदाबहार वनों की पच्चीकारी है।
- इन जलग्रहण क्षेत्रों के जंगल कण्ठ गाद की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह लुप्तप्राय घड़ियाल आबादी और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्प की प्रजातियों के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण पानी की एक विशिष्ट वांछनीय गहराई को बनाए रखने में भी मदद करता है।



3. नंदा झील (गोवा)

- नंदा झील को इसकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और स्थानीय समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए जैव विविधता मूल्यों के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

- अधिकांश क्षेत्र मीठे पानी के दलदल हैं जो जुआरी नदी के प्रमुख नालों में से एक के निकट स्थित हैं।
 - यह स्थानीय लोगों को ऑफ-मानसून सीजन के दौरान पानी को स्टोर करने में सक्षम बनाता है।
 - संग्रहित पानी का उपयोग झील के नीचे की ओर धान की खेती के लिए भी किया जाता है और मछली पकड़ने और मनोरंजन का समर्थन करता है।
 - मानसून के दौरान स्लुइस गेट खोल दिया जाता है और पानी छोड़ा जाता है जो झील के चरित्र को दलदली भूमि में बदल देता है।
 - इस दौरान दलदली भूमि का उपयोग धान उगाने के लिए भी किया जाता है।
 - यह झील उल्लेखनीय जीवों का आवास है।
4. **मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व (तमिलनाडु)**
- मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी (GoMBR), भारत के दक्षिण-पूर्वी तट में स्थित है, और जैव विविधता में समृद्ध एक अद्वितीय समुद्री वातावरण है।
 - यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है।
 - GoMBR भारत में सर्वाधिक जैविक रूप से धनी क्षेत्रों में से एक है।
 - रिजर्व कई विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण और अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियों जैसे डुगोंग, व्हेल शार्क, समुद्री घोड़े, बालनोग्लोसस आदि का भी निवास स्थान है।



5. रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य (कर्नाटक)

- रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा साइट को कर्नाटक और भारत में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह जैव विविधता में समृद्ध भारत की एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण नदी की आर्द्रभूमि है।
- इसके अलावा, यह लुप्तप्राय, कमजोर और स्थानिक पौधों की प्रजातियों में से प्रत्येक की एक प्रजाति और लगभग 98 औषधीय पौधों की प्रजातियों का भी समर्थन करता है।
- यह प्रस्तावित स्थल मगर मगरमच्छों, चिकने-लेपित ऊदबिलाव की स्वस्थ आबादी का समर्थन करता है और इस नदी का पानी लुप्तप्राय कूबड़-समर्थित मैशर को आश्रय देता है।

6. वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (तमिलनाडु)

- तमिलनाडु में वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि मानव निर्मित अंतर्देशीय टैंक है।
- वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा बनाती है।
- यह आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) का हिस्सा है और इसलिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन का हिस्सा है।
- जिले में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां दर्ज की गई हैं।
- साइट गार्गनी की कुल गैर-प्रजनन आबादी का लगभग 12% होस्ट करती है।
 - ◆ साइट के भीतर लगभग 5 दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त वनस्पतियां मौजूद हैं।
- माना जाता है कि तालाब का निर्माण पांडियन राजा वीरनारायण के शासन काल में किया गया था।
- टैंक और थेराकल नहर को सिंचाई के लिए पजहयार नदी से पानी लेने के लिए डिजाइन किया गया था।
- पझयार नदी और वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि घाटी के पूरे जल निकासी को एकत्र करती है और नंचिलवाडु के एक बड़े हिस्से को सिंचित करती है।

7. वेलोड पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- वेलोड पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित पेरुंडुरई तालुक के वडामुगम वेलोड गांव में स्थित है।
- वेलोड पक्षी अभयारण्य जिसे प्रांतीय रूप से पेरियाकुलम येरी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में 141 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि में से एक है।
- आर्द्रभूमि का मूल्यांकन किया गया है और आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी, पहले पक्षियों की संख्या, प्रजनन के रिकॉर्ड, और बसने वाली कॉलोनियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी गई है।
- 77.185 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह स्थल मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है।

8. सिरपुर आर्द्रभूमि (मध्य प्रदेश)

- सिरपुर आर्द्रभूमि इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आर्द्रभूमि है।
- यह न केवल अपने सौंदर्य मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण में मदद करने जैसी अत्यधिक पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है।
- सिरपुर आर्द्रभूमि शहर के स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
- आर्द्रभूमि वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती है।
- यह सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन और आश्रय के रूप में स्थलीय और जलीय प्रवासी और आवासीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है।
- वर्तमान में, आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

9. वेदान्थंगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- वेदान्थंगल आर्द्रभूमि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के मदुरंतगाम तालुक में स्थित सबसे पुराने पक्षी-संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
- यह मीठे पानी की आर्द्रभूमि लोगों द्वारा संरक्षित जल पक्षी क्षेत्र है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है।
- स्थानीय लोग इस बगुले की रक्षा करते रहे हैं और साथ में, खेती को बढ़ाने वाली झील के खाद युक्त पानी से लाभान्वित हुए हैं।
- इस साइट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह कोरोमंडल तट जैविक प्रांत के अंतर्गत आता है।



10. उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

- उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के तिरुथुराईपुंडी तालुक में स्थित है।
- यह तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है।
- यह स्थल जलपक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंचन और प्रजनन स्थल है।
- यहाँ देखी गई उल्लेखनीय प्रजातियां ओरिएंटल डार्टर, ग्लाँसी आइबिस, ग्रे हेरॉन और यूरोशियन स्पूनबिल हैं।
- यह डार्टर और यूरोशियन स्पूनबिल के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक है।
- उदयमर्थनपुरम मानसून के अतिप्रवाह के दौरान बाढ़ के पानी का भंडारण करता है और शुष्क अवधि के दौरान सतही जल प्रवाह को बनाए रखता है।



बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली

नदियों में जल स्तर में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए पूर्वानुमान प्रणाली आवश्यक है।

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) कम दूरी के बाढ़ पूर्वानुमान के आधार पर सांख्यिकीय पद्धति (गेज टू गेज सहसंबंध) प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में, CWC द्वारा 332 स्टेशनों (133 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों और 199 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।
- CWC द्वारा सालाना लगभग 10,000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।
- CWC वर्तमान में देश के 20 प्रमुख नदी घाटियों के लिए अपने वेब पोर्टल पर लगभग वास्तविक समय में

पांच दिवसीय सलाहकार बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान कर रहा है।

- विभिन्न उपलब्ध वर्षा डेटा उत्पादों का उपयोग करके पांच दिन का अग्रिम पूर्वानुमान तैयार किया जाता है जैसे:
 - ◆ पूर्वानुमान वर्षा डेटा GFS (वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली)
 - ◆ WRF (मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान)
 - ◆ ये आंकड़े IMD (भारतीय मौसम विभाग) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
- वर्षा अनुमान नामतः GsMaP (वर्षा का वैश्विक उपग्रह मानचित्रण) और GPM (वैश्विक वर्षा मापन) मॉडल प्रणाली में एक प्रमुख इनपुट के रूप में कार्य करते हैं।
- बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है जिसे हर तीन घंटे में अपडेट किया जाता है।
 - ◆ यह तीन घंटे का अपडेट मानसून के मौसम के दौरान सभी स्टेशनों के लिए स्वचालित मोड में एक साथ उपलब्ध है।
- CWC ने गंगा बेसिन के लिए 'नियर रियल टाइम इनडेशन फोरकास्ट' के विकास का कार्य भी अपने हाथ में लिया है।

यह उच्च संकल्प डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) सर्वे ऑफ इंडिया / राज्य सरकार का उपयोग करके राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) के तहत परामर्श के माध्यम से किया जा रहा है।

- फील्ड स्टेशनों से एकत्रित डेटा साइट से संबंधित CWC के बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र को प्रेषित किया जाता है।
 - ◆ डेटा ट्रांसमिशन वायरलेस और/या टेलीफोन/मोबाइल और उपग्रह आधारित टेलीमेट्री सिस्टम और वीसैट के माध्यम से किया जाता है।
- केंद्रीय जल आयोग निकट वास्तविक समय डेटा संचार के लिए वायरलेस स्टेशनों का रखरखाव करता है।
- अब आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, संसर आधारित स्वचालित डेटा संग्रह और उपग्रह आधारित संचार के लिए विभिन्न स्टेशनों पर उपग्रह आधारित टेलीमेट्री सिस्टम स्थापित किया गया है।
- डेटा उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी प्राप्त करने वाले स्टेशन और फिर वीसैट सिस्टम के माध्यम से विभिन्न मॉडलिंग केंद्रों को प्रेषित किया जाता है।
- बांध/जलाशय के नोडल अधिकारी जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (WIMS) पर अपलोड करके या ई-मेल@SMS/फोन/वायरलेस आदि के माध्यम से भेजकर CWC के साथ जलाशय संबंधी डेटा साझा करते हैं।
- ये वायरलेस सेट इसके अवलोकन के तुरंत बाद महत्वपूर्ण जल-मौसम संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए पूर्व-निर्धारित शेड्यूल पर काम करते हैं।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के बारे में



Central Water Commission
(Serving the nation since 1945)

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।
- यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से आरंभ करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य


जिम्मेदारी सौंपी गई है,

- ◆ पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाएं,
- ◆ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल शक्ति विकास के उद्देश्य से।
- यह आवश्यक के रूप में ऐसी किसी भी योजना की जांच, निर्माण और निष्पादन भी करता है।
- केंद्रीय जल आयोग CWC का अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव की स्थिति के साथ एक अध्यक्ष होता है।

भारत में बाढ़

- भारत बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। 329 मिलियन हेक्टेयर (mha) के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40 mha से अधिक बाढ़ प्रवण है।
- बाढ़ एक बार-बार होने वाली घटना है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है और आजीविका प्रणाली, संपत्ति, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं को नुकसान होता है।
- बाढ़ उन क्षेत्रों में भी आई है, जिन्हें पहले बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता था।

INDIA



फोटो में: भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्रों को दर्शाने वाला फोटो।

विश्व हाथी दिवस

एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस शुरू किया गया था।

- यह एक अंतरराष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है, जो दुनिया के हाथियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए समर्पित है।
- थीम: हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना।

हाथियों के बारे में

- हाथी (एलिफस मैक्सिमस) भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है।
- हाथी व्यापक जानवर होने के कारण उसे बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
- हाथियों के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और इसलिए उनकी आबादी को केवल उन जंगलों द्वारा समर्थित किया जा सकता है जो इष्टतम परिस्थितियों में हैं।
- हाथी की स्थिति वनों की स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक हो सकती है।
- **भारतीय हाथियों के बारे में तथ्य:**
 - ◆ स्थिति : संकटापन्न
 - ◆ जनसंख्या : 20,000 – 25,000
 - ◆ वैज्ञानिक नाम : एलीफस मैक्सिमस इंडिकस
 - ◆ ऊंचाई : कंधे पर 6-11 फीट
 - ◆ वजन : 5 टन
 - ◆ लंबाई : 21 फीट
 - ◆ पर्यावास : उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाला जंगल, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाला नम जंगल, सूखा जंगल, घास का मैदान।
- हाथी न केवल भारत और पूरे एशिया में एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं, वे अपने जंगल और घास के मैदानों की अखंडता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

हाथियों का वितरण

- एशियाई हाथियों को व्यापक रूप से वितरित माना जाता था।
 - ◆ वे पश्चिम एशिया में टाइग्रिस - यूफ्रेटिस से पूर्व की ओर फारस के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में देखे गए थे, और श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और उत्तरी चीन सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया।
- हालांकि वर्तमान में वे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ एशियाई द्वीपों - श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक ही सीमित हैं।
- एशियाई हाथियों की लगभग 60% आबादी भारत में है।



हाथियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय

- **प्रोजेक्ट हाथी:**

- ◆ प्रोजेक्ट हाथी 1991-92 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।

- वर्ष 2007, 2012 और 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान

- **हाथी रिजर्व:**

हाथी रिजर्व भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एक प्रबंधन इकाई है।

- ◆ इसमें संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र, गलियारे और निजी/आरक्षित भूमि शामिल हैं।

- ◆ जुलाई 2020 तक, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगभग 65507.42 वर्ग किलोमीटर में फैले 30 हाथी रिजर्व () को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम:

- ◆ CITES के COP संकल्प द्वारा अनिवार्य, MIKE कार्यक्रम दक्षिण एशिया में वर्ष 2003 में शुरू हुआ।

- ◆ इसका उद्देश्य उचित प्रबंधन और प्रवर्तन निर्णय लेने के लिए हाथी रेंज राज्यों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना था,

- ◆ सीमावर्ती राज्यों के भीतर उनकी हाथियों की आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करना।

भारत में MIKE साइट्स:

1. चिरांग रिपू (असम)
2. ढांग पाटकी (असम)
3. पूर्वी डूअर्स (पश्चिम बंगाल)
4. देवमाली (अरुण प्रदेश)
5. गारो हिल्स (मेघालय)
6. मयूरभंज (ओडिशा)
7. मैसूर (कर्नाटक)
8. नीलगिरि (तमिलनाडु)
9. शिवालिक (उत्तराखंड)
10. वायनाड (केरल)

भारत में हाथी की स्थिति

- भारतीय हाथी एलीफस मैक्सिमस मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है
 - ◆ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट-I में शामिल है।
- देश में 15 राज्यों में फैले 30 अधिसूचित हाथी रिजर्व (ERS) हैं।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल

भारत ने स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में देश में 13, 26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की हैं।

- 11 नई साइटों में शामिल हैं: तमिलनाडु में चार (4) साइट, ओडिशा में तीन (3), जम्मू और कश्मीर में दो (2) और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक (1)।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष (2022) में ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है।
- तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या (14) है, इसके बाद यू.पी. में रामसर स्थलों की संख्या 10 है।

नोट: भारत 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंधित पक्षों में से एक है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए।

संक्षेप में नई रामसर साइटें

क्रमांक	आर्द्रभूमि क्षेत्र	हेक्टेयर में	राज्य का नाम
1	टाम्परा झील	300	ओडिशा
2	हीराकुंड जलाशय	65400	
3	अंसुपा झील	231	

4	यशवंत सागर	822.90	मध्य प्रदेश
5	चित्रगुडी पक्षी अभयारण्य	260.47	तमिलनाडु
6	सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स	94.23	
7	वडुवुर पक्षी अभयारण्य	112.64	
8	कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य	96.89	
9	ठाणे क्रीक	6521.08	महाराष्ट्र
10	हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व	801.82	जम्मू और कश्मीर
11	शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व	1675	

1. टाम्परा झील

- टाम्परा झील गंजम जिले में स्थित ओडिशा राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है।
- जमीन पर अवसाद धीरे-धीरे जलग्रहण प्रवाह से वर्षा के पानी से भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा "टैम्प" कहा गया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे "ताम्परा" कहा गया।
- आर्द्रभूमि पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियों, मछलियों की 46 प्रजातियों, फाइटोप्लांकटन की कम से कम 48 प्रजातियों और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट्स की सात से अधिक प्रजातियों का समर्थन करती है।
- आर्द्रभूमि कमजोर प्रजातियों जैसे कि साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचार्ड (अयथ्या फेरिना), और रिवर टर्न (स्टर्ना औरतिया) के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है।
- प्रति वर्ष 12 टन की अनुमानित औसत मछली उपज के साथ, आर्द्रभूमि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- मछलियों के साथ-साथ आर्द्रभूमि कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी जैसी प्रावधान सेवाएं भी प्रदान करती हैं और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल है।



2. हीराकुंड जलाशय

- ओडिशा का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड जलाशय 1957 में काम करना शुरू कर दिया था।
- जलाशय से ज्ञात 54 प्रजातियों में से, एक को लुप्तप्राय, छह निकट संकटग्रस्त और 21 मछली प्रजातियों की ईको 480 मीट्रिक टन सालाना मछली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 7,000 मछुआरा परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है।
- इसी प्रकार, इस स्थल पर पक्षियों की 130 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 20 प्रजातियां उच्च

संरक्षण महत्व की हैं।

- जलाशय लगभग 300 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन और 436,000 हेक्टेयर सांस्कृतिक कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी का एक स्रोत है।
- आर्द्रभूमि भारत के पूर्वी तट के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक केंद्र महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करके महत्वपूर्ण जल विज्ञान सेवाएं भी प्रदान करती है।
- हीराकुंड जलाशय प्रचुर मात्रा में पर्यटन का समर्थन करता है, और संबलपुर के आसपास स्थित उच्च पर्यटन मूल्य स्थलों का एक अभिन्न अंग है।



3. अंसुपा झील

- अंसुपा झील कटक जिले के बांकी उप-मंडल में स्थित ओडिशा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- आर्द्रभूमि महानदी नदी द्वारा बनाई गई एक बैल की झील है और 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है।
- आर्द्रभूमि पक्षियों की कम से कम 194 प्रजातियों, मछलियों की 61 प्रजातियों और स्तनधारियों की 26 प्रजातियों के अलावा मैक्रोफाइट्स की 244 प्रजातियों का घर है।
- आर्द्रभूमि कम से कम तीन संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों- रिनचोप्स एल्बीकोलिस (ईएन), स्टरना एक्वैटिकौडा (ईएन) और स्टरना ऑरेंटिया (वीयू) को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है और
- तीन संकटग्रस्त मछलियों की प्रजातियां- क्लारियस मागुर (क्लेरिडे) (EN), साइप्रिनस कार्पियो (साइप्रिनिडे) (VU) और वालगो एटू (VU)।
- अंसुपा झील आसपास के क्षेत्रों की मीठे पानी की मांग को पूरा करती है और मत्स्य पालन और कृषि के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका का भी समर्थन करती है।
- आर्द्रभूमि में मनोरंजन और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यह प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का प्रमुख मैदान है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है।

4. यशवंत सागर

- यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) में से एक है और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है।
- वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

- यशवंत सागर जलाशय इंदौर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- इस आर्द्रभूमि का जलग्रहण क्षेत्र मुख्यतः कृषि है।
- यशवंत सागर को मध्य भारत में कमजोर सारस क्रेन का गढ़ माना जाता है।
- झील के बैकवाटर में बहुत सारे उथले क्षेत्र हैं, जो जलचरों और अन्य जलपक्षियों के लिए अनुकूल हैं।
- जैसे-जैसे जल स्तर घटता है, कई द्वीप जलपक्षियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करते हैं।
- अपने विशाल उथले ईख की क्यारियों के कारण, आर्द्रभूमि को बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है।

5. चित्रंगुडी पक्षी अभयारण्य

- चित्रंगुडी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से "चित्रंगुडी कनमोली" के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है।
- आर्द्रभूमि 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, जो तमिलनाडु वन विभाग, रामनाथपुरम डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- चित्रंगुडी पक्षी अभयारण्य शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है।
- स्थल से 30 परिवारों के लगभग 50 पक्षियों की सूचना मिली है।

इनमें से 47 जल पक्षी और 3 स्थलीय पक्षी हैं।

- चित्रंगुडी कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जहां साल भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं।
- आर्द्रभूमि कई मछलियों, उभयचरों, मोलस्क, जलीय कीड़ों और उनके लार्वा का भी समर्थन करती है जो आने वाले जलपक्षियों के लिए अच्छे भोजन स्रोत हैं।
- कृषि प्रयोजनों के लिए आर्द्रभूमि के आसपास और भीतर सिंचाई के लिए भूजल निकाला जाता है।



6. सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

- सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, सुचिन्द्रम-थेरूर मनाकुडी संरक्षण रिजर्व का हिस्सा है।
- इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।
- इसका गठन पक्षियों के घोंसले के लिए किया गया था और यह हर साल हजारों पक्षियों को आकर्षित करता है।
- थेरूर पर निर्भर कुल जनसंख्या लगभग 10,500 है और जनसंख्या की 75% आजीविका कृषि पर निर्भर है।
 - ◆ यह आबादी थेरूर टैंक से निकलने वाले पानी पर निर्भर है।
- यह मानव निर्मित, अंतर्देशीय टैंक है और बारहमासी है।

- 9वीं शताब्दी के तांबे के प्लेट शिलालेखों में पसुमकुलम, वेंचिकुलम, नेदुमथुंकुलम, पेरुमकुलम, एलेमचिकुलम और कोनाडुनकुलम का उल्लेख है।
- क्षेत्र में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 53 प्रवासी, 12 स्थानिक और 4 खतरे में हैं।

7. वडुवुर पक्षी अभयारण्य

- वडुवुर पक्षी अभयारण्य 112.638 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई टैंक और प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है।
- यह भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।
- जबकि इन सिंचाई टैंकों का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है, उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में बहुत कम जानकारी है।
- इन टैंकों में निवासी और सर्दियों के पानी के पक्षियों की अच्छी आबादी को शरण देने की क्षमता है लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
- भारतीय तालाब के बगुला अर्देओला में हुए अधिकांश सर्वेक्षण कुंडों में दर्ज किए गए थे।
- वडुवुर पक्षी अभयारण्य में विविध निवास स्थान हैं, जिनमें कई इनलेट और आसपास के सिंचित कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पक्षियों के लिए अच्छा घोंसला बनाने और चारागाह प्रदान करते हैं।
- इस प्रकार, साइट ऊपर सूचीबद्ध प्रजातियों को उनके जीवन-चक्र के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान सहायता प्रदान करती है।



8. कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य

- कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1989 में घोषित किया गया था।
- यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए एक घोंसले के शिकार स्थल के रूप में उल्लेखनीय है जो वहां बबुल के पेड़ों की प्रमुख वृद्धि में बसते हैं।
- प्रवासी जलपक्षियों की प्रजनन आबादी अक्टूबर और फरवरी के बीच यहां आती है।
- साइट आईबीए के रूप में योग्य है क्योंकि यहां खतरे वाली स्पॉट-बिल पेलिकन पेलिकैनस फिलिपेन्सिस नस्लें हैं।
- आर्द्रभूमि समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करती है, जिसमें विश्व स्तर पर कई निकट संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं।
- आर्द्रभूमि आईयूसीएन रेडलिस्ट की कमजोर एवियन प्रजातियों जैसे स्टर्ना औरेंटिया (नदी टर्न) का भी समर्थन करती है।



छवि में: काले पंखों वाला स्टिल्ट

9. ठाणे क्रीक

- ठाणे क्रीक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
- नाले में ताजे पानी के कई स्रोत हैं, जिनमें उल्हास नदी सबसे बड़ी है।
- इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है।
- ठाणे की खाड़ी दोनों किनारों पर मैंग्रोव से घिरी हुई है और इसमें कुल भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का लगभग 20% शामिल है।
- मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक आश्रय पट्टी के रूप में कार्य करता है और भूमि को चक्रवातों, ज्वार-भाटा, समुद्री जल के रिसाव और घुसपैठ से बचाता है।
- मैंग्रोव कई मछलियों के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य करता है और स्थानीय मत्स्य पालन को बनाए रखता है।
- यह क्षेत्र पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के आर्द्रभूमि परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



छवि में: ठाणे क्रीक में राजहंस

10. हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व

- हाइगम वेटलैंड झेलम नदी बेसिन में पड़ता है।
- यह स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ अवशोषण बेसिन, जैव विविधता संरक्षण स्थल, पर्यावरण-पर्यटन स्थल और आजीविका सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- आर्द्रभूमि बारामूला जिले में स्थित है।
- यह कई निवासियों और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के निवास के रूप में कार्य करता है।
- इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
- गाद की उच्च दर के परिणामस्वरूप, हाइगम आर्द्रभूमि ने अपनी आर्द्रभूमि विशेषताओं को काफी हद तक खो दिया है और कई स्थानों पर इसकी रूपरेखा को एक भूभाग में बदल दिया है।
- इसके परिणामस्वरूप प्रवासी पक्षियों (शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन प्रवासी) और निवासी पक्षियों के लिए भी उपयुक्त स्थान की पेशकश करने के लिए आवास की स्थिति का और नुकसान हुआ है।
- हाइगम वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अधिकता प्रदान करता है, इनमें मछली और फाइबर, जल आपूर्ति, जल शोधन, जलवायु विनियमन, बाढ़ विनियमन और मनोरंजन के अवसर शामिल हैं।
- आर्द्रभूमियों के किनारे और आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका आंशिक रूप से या पूरी तरह से आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर करती है।



11. शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व

- शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर के जिला श्रीनगर, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है।
- आर्द्रभूमि के बड़े क्षेत्र सितंबर और मार्च के बीच सूख जाते हैं।
- यह कम से कम 21 प्रजातियों के चार लाख से अधिक निवासी और प्रवासी पक्षियों के निवास के रूप में कार्य करता है।
- शालबाग वेटलैंड बाढ़ के प्राकृतिक नियंत्रण, सुधार या रोकथाम में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- यह आर्द्रभूमियों या संरक्षण महत्व के अन्य क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम के लिए मौसमी जल प्रतिधारण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- जलभृतों के पुनर्भरण के लिए आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण है।
- एक प्रमुख प्राकृतिक बाढ़ मैदान प्रणाली, शालबाग वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अधिकता प्रदान करती है।
- आर्द्रभूमि जलपक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है।



YOUR SUCCESS

RAO'S ACADEMY

MSME से अनिवार्य खरीद

रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का निरंतर विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार विभिन्न नीतिगत पहलों का पालन कर रही है।



प्रमुख पहल और मुख्य विशेषताएं

सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल की हैं:

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में, MSME के लिए रु.100 करोड़/वर्ष तक के ऑर्डर पर विशिष्ट आरक्षण है।
- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था।
- iDEX का उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र MSME, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके विकसित किया जाएगा।
- कृत्क अपनी योजना प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना (TDF) के माध्यम से उद्योगों को विशेष रूप से स्टार्ट-अप और MSME को 10 करोड़ रुपये तक की राशि देता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित MSME देश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को भी सभी रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनाया गया है।
- रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) देश के विभिन्न हिस्सों में आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
 - ◆ रक्षा क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना लागू है।
 - ◆ इस योजना के तहत देश भर के टियर-II और टियर-III शहरों में कॉन्क्लेव/सेमिनार आयोजित किए जा

रहे हैं।

- ◆ इसका उद्देश्य DDP के सहयोग से मजबूत औद्योगिक MSME उपस्थिति रखना है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित एमएसई से सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	(करोड़ रुपये में)
2018-19	531.74
2019-20	3204.24
2020-21	303.13
2021-22	760.14
2022-23	759.37

जुलाई में 6 अरब UPI लेनदेन

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, UPI ने जुलाई 2022 में 6.28 बिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किया है।

- जुलाई 2016 में UPI सर्विस शुरू होने के बाद से यह एक नया रिकॉर्ड है।

UPI क्या है?



- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक स्मार्टफोन एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है।
- यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक सिंगल विंडो वाली मोबाइल भुगतान प्रणाली है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है।
- इसे सिंगल टू-क्लिक फैक्टर प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पीयर-टू-पीयर अंतर-बैंक हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यह एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ दो बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करके काम करता है।
- भारत में पायलट सिस्टम 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। देश भर के बैंकों ने अगस्त 2016 में अपना इंटरफेस अपलोड करना शुरू किया।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) कैसे काम करता है?

- UPI मौजूदा सिस्टम, जैसे तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) का उपयोग करता है, ताकि सभी खातों में निर्बाध निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- यह पुश (पे) और पुल (प्राप्त) लेनदेन की सुविधा देता है और यहां तक कि काउंटर पर या बारकोड भुगतान के लिए भी काम करता है।
- यह कई आवर्ती भुगतानों जैसे उपयोगिता बिल, स्कूल शुल्क और अन्य सदस्यताओं के लिए भी काम करता है।
- UPI पर पैसे भेजने को "पुश" कहा जाता है।
 - ◆ पैसे भेजने के लिए, उपयोगकर्ता इंटरफेस में लॉग इन करता है और पैसे भेजें/भुगतान विकल्प का चयन करता है।
 - ◆ प्राप्तकर्ता की वर्चुअल ID और वांछित राशि दर्ज करने के बाद, वह उस खाते का चयन करता है जिससे पैसा डेबिट किया जाएगा।
 - ◆ उपयोगकर्ता तब एक विशेष व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) दर्ज करता है और एक पुष्टिकरण प्राप्त करता है।
- सिस्टम के माध्यम से धन प्राप्त करना "खींचना" कहलाता है।
- एक बार जब उपयोगकर्ता सिस्टम में लॉग इन हो जाता है, तो वह धन एकत्र करने के विकल्प का चयन करती है।
- इसके बाद उपयोगकर्ता को प्रेषक के लिए वर्चुअल आईडी, एकत्र की जाने वाली राशि और वह खाता जिसमें वह धनराशि जमा करेगा, दर्ज करने की आवश्यकता है।
 - ◆ एक संदेश तब भुगतानकर्ता के पास भुगतान करने के अनुरोध के साथ जाता है।
 - ◆ यदि वह भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो वह लेनदेन को अधिकृत करने के लिए अपना UPI पिन दर्ज करता है।

यह कैसे अलग है?

- चौबीसों घंटे 24x7 और 365 दिनों में मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण।
- विभिन्न बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एकल मोबाइल एप्लिकेशन।
- सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन - नियामक दिशानिर्देशों के साथ सरेखित, फिर भी निर्बाध सिंगल क्लिक भुगतान की एक बहुत मजबूत सुविधा प्रदान करता है।
- पुल एंड पुश के लिए ग्राहक का वर्चुअल पता, ग्राहक के साथ वृद्धिशील सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें कार्ड नंबर, खाता संख्या जैसे विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है; IFSC आदि

QR कोड

- एकल आवेदन या इन-ऐप भुगतान के साथ व्यापारी भुगतान।
- उपयोगिता बिल भुगतान, काउंटर भुगतान पर, QR कोड (स्कैन और भुगतान) आधारित भुगतान।
- दान, संग्रह, संचितरण स्केलेबल।
- सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत उठाना।

UPI - पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों को लाभ

- बैंक
 - ◆ सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
 - ◆ लेनदेन के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग
 - ◆ मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाना

- ◆ सुरक्षित, प्राप्त और अभिनव
- ◆ भुगतान आधार एकल/अद्वितीय पहचानकर्ता
- ◆ निर्बाध व्यापारी लेनदेन सक्षम करें
- व्यापारी
 - ◆ ग्राहकों से निर्बाध निधि संग्रह - एकल पहचानकर्ता
 - ◆ ग्राहक के वर्चुअल पते जैसे कार्ड में संग्रहीत करने का कोई जोखिम नहीं है
 - ◆ उन ग्राहकों पर टैप करें जिनके पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं हैं
 - ◆ ई-कॉम और एम-कॉम लेनदेन के लिए उपयुक्त
 - ◆ COD संग्रहण समस्या का समाधान करता है
 - ◆ ग्राहक को सिंगल क्लिक 2FA सुविधा - निर्बाध पुल
 - ◆ इन-ऐप भुगतान (IAP)
- उपभोक्ता
 - ◆ चौबीसों घंटे उपलब्धता
 - ◆ विभिन्न बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एकल आवेदन
 - ◆ वर्चुअल आईडी का उपयोग अधिक सुरक्षित है, कोई क्रेडेंशियल साझा नहीं करना
 - ◆ सिंगल क्लिक प्रमाणीकरण
 - ◆ सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत उठाएं

कुछ आंकड़े

नीचे दिया गया डेटा पिछले 7 महीनों के UPI लेनदेन की मात्रा और मूल्य को दर्शाता है।

Month	No. of Banks live on UPI	Volume (in Mn)	Value (in Cr.)
Jul-22	338	6,288.40	10,62,991.76
Jun-22	330	5,862.75	10,14,384.31
May-22	323	5,955.20	10,41,520.07
Apr-22	316	5,583.05	9,83,302.27
Mar-22	314	5,405.65	9,60,581.66
Feb-22	304	4,527.49	8,26,843.00
Jan-22	297	4,617.15	8,31,993.11

NPCI के बारे में

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है।
- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।



भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA

- यह भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बनाने के लिए काम करता है।
- NPCI के उद्देश्यों की उपयोगिता प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत "लाभ के लिए नहीं" कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
 - ◆ इरादा भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- कंपनी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणाली में नवाचार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

NPCI के 10 प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं:

- ◆ भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया,
- ◆ ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक N.A. और HSBCA

75000 स्टार्ट-अप को मान्यता मिली

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है- एक मील का पत्थर जो स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के साथ मेल खाता है।

- भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप रिश्थितिकी तंत्र बन गया है।



प्रमुख बिंदु

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार:
 - ◆ 12% स्टार्ट-अप IT सेवाओं से संबंधित हैं,

- ◆ 9% स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान से संबंधित हैं,
- ◆ 7% शिक्षा से संबंधित हैं,
- ◆ 5%, पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाओं के लिए 5% से संबंधित हैं
- ◆ 5% कृषि से संबंधित हैं,
- पिछले छह वर्षों में 110% वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा लगभग 7, 46,000 नौकरियों का सृजन किया गया है।
- जहां शुरुआती दस हजार स्टार्टअप को 808 दिनों में पहचाना गया, वहीं नवीनतम दस हजार को केवल 156 दिनों में हासिल किया गया।
- 49% पंजीकृत स्टार्ट-अप टियर-II और टियर-III शहरों से हैं।
- हालांकि, कई स्टार्ट-अप ने जहां बहुत जरूरी रोजगार सृजित किए हैं, उनमें से कुछ ने हाल ही में नौकरियों भी छोड़ी हैं।

वेदांतु, Unacademy और Cars24 ने कथित तौर पर इस साल 6,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसी तरह, ओला ने कथित तौर पर इस साल की शुरुआत में लगभग 2,100 कर्मचारियों को निकाल दिया।

उचित और लाभकारी मूल्य


माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2022-23 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को मंजूरी दे दी है।

- गन्ना किसानों के लिए स्वीकृत 305 रुपये प्रति क्विंटल का यह अब तक का सबसे अधिक उचित और लाभकारी मूल्य है।

प्रमुख बिंदु

- इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होने की उम्मीद है। इससे चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा।

चीनी क्षेत्र में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम:



- ◆ गन्ना उत्पादकों को गारंटीशुदा मूल्य सुनिश्चित करने के लिए गन्ने की FRP तय की जाती है।
- ◆ सरकार ने पिछले 8 वर्षों में FRP में 34% से अधिक की वृद्धि की है।
- ◆ सरकार ने चीनी की मिल-पूर्व कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) की अवधारणा भी पेश की है।
- ◆ चीनी के निर्यात को सुगम बनाने, बफर स्टॉक आदि को बनाए रखने के लिए चीनी मिलों को 18,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- ◆ इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष चीनी का उपयोग करना।
- ◆ चीनी सीजन 2022-23 में गन्ने के रकबे और अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए, चीनी मिलों द्वारा 3,600 लाख टन से अधिक गन्ना खरीदे जाने की संभावना है।
- ◆ इसके परिणामस्वरूप, गन्ना किसानों को कुल प्रेषण 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

भारत का चीनी क्षेत्र

- भारत ने चालू चीनी मौसम में चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है।
- भारत अपनी घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा हमारे राजकोषीय घाटे को भी कम कर रहा है।
- पिछले 4 चीनी मौसम 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन (LMT), 38 LMT, 59.60 LMT और 70 LMT, क्रमशः चीनी का निर्यात किया गया है।
- चालू चीनी मौसम 2021-22 में 01.08.2022 तक लगभग 100 LMT चीनी का निर्यात किया गया है और निर्यात 112 LMT को छूने की संभावना है।
- चीनी मौसम 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में, लगभग 3.37 लाख मीट्रिक टन, 9.26 लाख मीट्रिक टन और 22 लाख मीट्रिक टन चीनी को इथेनॉल में बदल दिया गया है।
- चालू चीनी मौसम 2021-22 में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन चीनी के डायवर्ट होने का अनुमान है।
- यह आशा की जाती है कि 2025-26 तक 60 LMT से अधिक चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित का लक्ष्य रखा गया है।
- इससे अतिरिक्त गन्ने की समस्या के साथ-साथ विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान होगा क्योंकि किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा।
- पहले, चीनी मिलें राजस्व उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से चीनी की बिक्री पर निर्भर थीं।
 - ◆ किसी भी मौसम में अधिशेष उत्पादन उनकी तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया जमा हो जाता है।

नोट: सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उचित और लाभकारी मूल्य क्या है?

- उचित और लाभकारी मूल्य या FRP वह मूल्य है जो चीनी मिलों और कारखानों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए आवश्यक है।
- इसे 2009 में पेश किया गया था और वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) की अवधारणा को बदल दिया गया था।
- देश भर में FRP भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।

- इसमें गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है।
- मिलों के पास किसानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प है, जो उन्हें किशतों में FRP का भुगतान करने की अनुमति देगा।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा MSP की घोषणा की जाती है।

नोट: CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है।

लोकसभा में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित

लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।

- यह राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदलने के बाद किया जाएगा, जो वर्तमान में वडोदरा में एक मानित संस्थान है।



प्रमुख बिंदु

- बिल रेलवे के बाहर से डीम्ड यूनिवर्सिटी के दायरे का विस्तार करने के लिए पूरे परिवहन क्षेत्र को कवर करने का भी प्रयास करता है।

- यह इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विकास और आधुनिकीकरण का समर्थन करने में मदद करेगा जैसा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था।
- गति शक्ति विश्वविद्यालय एक बहु-विषयक और बहु-आयामी संस्थान होगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा।
- योजना विभिन्न विभागों को एकीकृत करने के लिए एक नया बुनियादी ढांचा तैयार करना है जहां विभिन्न परिवहन क्षेत्र के तत्व जैसे
 - ◆ सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ रेलवे, सड़क, जलमार्ग, विमानन और बंदरगाह;
 - ◆ गति शक्ति मिशन के मंच पर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करेंगे
- गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तारित परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता को पूरा करेगी।
- **संस्थान का फोकस पांच प्रमुख पहलुओं पर होगा-**
 - ◆ परिवहन-केंद्रित पाठ्यक्रम,
 - ◆ कौशल विकास,
 - ◆ अनुप्रयुक्त अनुसंधान,
 - ◆ प्रौद्योगिकी विकास,
 - ◆ परिवहन अर्थशास्त्र और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण।

आईटी में कर्मचारियों की संख्या

NASSCOM के अनुसार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 51 लाख व्यक्तियों को सीधे रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश IT कुशल हैं।

- इसके अलावा, पिछले 7 वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटलीकरण में वृद्धि के साथ, अन्य आर्थिक क्षेत्रों ने डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों के लिए बड़े अवसर पैदा किए हैं।

प्रमुख बिंदु

पिछले तीन वर्षों में भारतीय IT क्षेत्र का कुल राजस्व निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष राजस्व - (अरब डॉलर में)

वित्त वर्ष 2019-20	-	190
वित्त वर्ष 2020-21	-	196
वित्त वर्ष 2021-22	-	227

- "भारत के ट्रिलियन-डॉलर के डिजिटल अवसर" पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे परिदृश्य में, उद्योग 2025-26 तक 60 से 65 मिलियन डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों का समर्थन कर सकता है।
- इसके अलावा, NASSCOM के अनुसार, वर्ष 2026 तक भारतीय आईटी उद्योग द्वारा ही जनशक्ति की अनुमानित आवश्यकता लगभग 95 लाख होगी। जिनमें से 55 लाख प्रमुख डिजिटल तकनीकों जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, बिग डेटा एनालिटिक्स और IOT में डिजिटल रूप से कुशल होंगे।

डिजिटल लेनदेन

पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।

- भीम-UPI उपयोगकर्ताओं के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में डिजिटल भुगतान के आसान और सुविधाजनक तरीकों में शामिल हैं:
 - ◆ मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए भारत इंटरफेस (BHIM-UPI),
 - ◆ तत्काल भुगतान सेवा (IMPS),
 - ◆ प्री-पेड भुगतान लिखत (PPIs) और
 - ◆ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NECT) प्रणाली।
- सभी माध्यमों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है।
- इसने व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) के साथ-साथ व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतानों को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन किया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष)	डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या(करोड़ में)
वित्त वर्ष 2019-20	4,572
वित्त वर्ष 2020-21	5,554
वित्त वर्ष 2021-22	8,840
वित्त वर्ष 2022-23	3,270

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष)	डिजिटल लेनदेन का कुल मूल्य:- (लाख करोड़ में)
FY2019-20 -	2,953
FY2020-21-	3,000
FY2021-22-	3,021
FY2022-23-	566

पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत

देश में 2021-22 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत क्रमशः 204.23 एमएमटी और 63.91 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) थी।

- 2021-22 के दौरान देश के कच्चे तेल और गैस की कुल आवश्यकताओं का 22.8% घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा किया गया।

प्रमुख बिंदु

पिछले 3 वर्षों और 2022-23 की पहली तिमाही (Q1) (अप्रैल-जून) के साथ आयातित कच्चे तेल का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष-	2019 - 20	2020 - 21	2021 - 22	2022-23 की 22 तिमाही
कच्चे तेल का आयात (MMT में)	227.0	196.5	212.0	60.3
आयात लागत (अरब अमेरिकी डॉलर में)	101.4	62.2	120.4	48.0
आयात लागत (करोड़ रुपये में)	717001	459779	899312	369742

पिछले 3 वर्षों की लागत के साथ-साथ 2022-23 की पहली तिमाही में आयातित प्राकृतिक गैस का विवरण नीचे

दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2019 - 20	2020 - 21	2021 - 22	23 की 22 तिमाही
प्राकृतिक गैस आयात (BCM में)	33.887	33.031	30.776	7.40
आयात लागत (अरब अमेरिकी डॉलर में)	9.5	7.9	13.4	3.4
आयात लागत (करोड़ रुपये में)	67383	58129	100011	100011

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC)

नोट: देश में अब तक खोजे गए पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अनुमान लगभग 12.0 बिलियन टन तेल और तेल गैस के बराबर है।

- इसमें से वसूली योग्य संसाधन 4.2 बिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 2.6 बिलियन टन तेल और तेल के बराबर गैस का उत्पादन किया जा चुका है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का विवरण दिया।

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन (राज्य-वार) का विवरण निम्नानुसार है:



राज्य-वार प्राकृतिक गैस उत्पादन (मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर में)

राज्य/क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	912	827	809
अरुणाचल प्रदेश	46	55	58
असम	3141	2995	3371
गुजरात	1342	1138	1017
झारखंड	5	2	4
मध्य प्रदेश	345	334	290
राजस्थान	1883	2040	2619
तमिलनाडु	1097	911	1067
त्रिपुरा	1473	1634	1531
पश्चिम बंगाल	306	307	389
अपतटीय	20635	18429	22869
कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन	31184	28673	34024

स्रोत: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और डीजीएच


भारत में तेल और गैस उद्योग के बारे में

- भारत में तेल की मांग 2045 तक दो गुना बढ़कर 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत में डीजल की मांग 2029-30 तक दोगुनी होकर 163 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसमें डीजल और गैसोलीन 2045 तक भारत की तेल मांग का 58% हिस्सा कवर करेंगे।
- भारत में प्राकृतिक गैस की खपत 25 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) बढ़ने की उम्मीद है, जो 2024 तक 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करती है।



- भारत का लक्ष्य अपने एसपीआर (रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार) के 50% का व्यावसायीकरण करना है ताकि धन जुटाया जा सके और तेल की ऊंची कीमतों की भरपाई के लिए अतिरिक्त भंडारण टैंक का निर्माण किया जा सके।
- मई 2022 में, ONGC ने भारत में अपने अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने के लिए FY22-25 से US + 4 बिलियन के निवेश की योजना की घोषणा की।
- जुलाई 2021 में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने वाले एक आदेश को मंजूरी दी।
- सरकार ने अपस्ट्रीम और निजी क्षेत्र की रिफाइनिंग परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।
- वित्त वर्ष 2012 में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन 29.7 MMT रहा।
- IEA (इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021) के अनुसार, प्राथमिक ऊर्जा की मांग लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन तेल के बराबर होने की उम्मीद है।
 - ◆ भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2040 तक बढ़कर 8.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
- वैश्विक स्तर पर गैर-OECD पेट्रोलियम खपत वृद्धि में भारत के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2012 में भारत में पेट्रोल उत्पादों की खपत 204.23 MMT थी।
- हाई स्पीड डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला तेल उत्पाद था और वित्त वर्ष 2012 में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में 38.84% का योगदान था।
- 1 मई, 2022 तक, भारत में 147.9 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ 10,420 किलोमीटर क्रूड पाइपलाइन नेटवर्क था।
- वित्त वर्ष 2012 में भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 62.7 एमएमटी तक पहुंच गया।
 - ◆ इन कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य 44.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
 - ◆ FY22 में, कच्चे तेल का आयात 4.24 MBPD था, जिसकी कीमत 120.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

Exports of Petroleum Products from India FY22 (MMT)



REC ने डिस्कॉम को 22,000 करोड़ मंजूर किए

राज्य द्वारा संचालित REC ने चार राज्यों में डिस्कॉम को नए लेट पेमेंट सरचार्ज नियमों के तहत उनके बकाया राशि को चुकाने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये मंजूर किए।

- यह पहल बिजली आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने और बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन लाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करती है।

प्रमुख बिंदु

- लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) एक डिस्कॉम द्वारा जेन्को या बिजली ट्रेडिंग लाइसेंसधारी को मासिक शुल्क के भुगतान में देरी के कारण देय शुल्क हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) ने झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर के वितरण लाइसेंसधारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
- राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों पर लगभग 96,000 करोड़ का बकाया है।
 - ◆ लेकिन REC ने कहा कि ये राज्य नए नियमों का पालन कर रहे हैं।
- उसी के अनुरूप, उपरोक्त राज्यों के वितरण लाइसेंसधारी अपने बिजली आपूर्तिकर्ताओं को लगभग 2,600 करोड़ का भुगतान करेंगे।

नोट: राज्य बिजली उपयोगिताओं का कुल बकाया अब 1,50,000 करोड़ को पार कर गया है।

- REC सहायता यह सुनिश्चित करेगी कि अंतिम उपभोक्ता को बिजली की विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति मिले।

इसके अतिरिक्त यह राज्य उपयोगिताओं द्वारा बिजली खरीद देय राशि के देर से भुगतान के कारण ब्याज के बोझ को कम

करता है।

REC के बारे में

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) विद्युत मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह 50,000 करोड़ से अधिक (31 मार्च, 2022 तक) की कुल संपत्ति के साथ एक प्रमुख बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है।
- REC व्यावसायिक गतिविधियों में विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है, चाहे वह उत्पादन, पारेषण या वितरण हो।
- घरेलू पीएल और केयर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सॉवरेन रेटिंग के बराबर दर्जा दिया गया है।
- आर्इसी को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - ◆ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (PM- Saubhagya),
 - ◆ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
 - ◆ राष्ट्रीय विद्युत कोष (NEF)
- आर्इसी को पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।
- आर्इसी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) की निगरानी में विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करता है।
 - ◆ उदय देश की बिजली वितरण कंपनियों को परिचालन में सुधार और वित्तीय रूप से बदलने का प्रयास करता है।

कोयले की मांग और आपूर्ति

मानसून की शुरुआत से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाने के लिए, बिजली मंत्रालय ने 28.04.2022 को राज्य क्षेत्र और IIP संयंत्रों को परामर्श जारी की थी।

- परामर्श का उद्देश्य अपनी आवश्यकता के 10% की दर से सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात करना था।
- बाद में, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) को तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन, आयातित कोयले के साथ 30% तक अधिक मात्रा में सम्मिश्रण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

घरेलू कोयले का उत्पादन और आपूर्ति ज्यादातर बिजली संयंत्रों में किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयले की घरेलू आपूर्ति और मांग का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	घरेलू आपूर्ति	आयात	कुल मांग
2017-18	690.00	208.25	898.25
2018-19	732.79	235.35	968.14
2019-20	707.18	248.54	955.72
2020-21	690.89	215.25	905.88
2021-22	818.65	208.93	1027.58

- सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने और कोयला उद्योग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
- कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:
- कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल शुरू किया गया है।
 - ◆ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया ताकि अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बिक्री की अनुमति दी जा सके।
 - ◆ राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी और कैप्टिव अंतिम उपयोग के लिए विशिष्ट कोयला ब्लॉकों का आवंटन।
 - ◆ सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।
 - ◆ डक मॉडल के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने 168.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTY) की संयुक्त क्षमता वाली 15 MDO परियोजनाओं की पहचान की है।
 - ◆ इसमें से 06 MDO परियोजनाओं को पहले ही 96.74 MTY की क्षमता से सम्मानित किया जा चुका है।
 - ◆ ओपन कास्ट माइनिंग के लिए सरफेस माइनर्स आदि जैसी उन्नत तकनीकें
 - ◆ पावर सपोर्टेड लॉन्गवॉल (PSLW), हाई वॉल माइनिंग, कंटीन्यूअस माइनर आदि।
 - ◆ कोयले की दक्षता और उच्च उत्पादन के लिए भूमिगत खानों को तैनात किया जा रहा है।
 - ◆ CIL ने 7 महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण में भी निवेश किया है।
 - ◆ यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में ब्राउनफील्ड खनन परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के विस्तार के लिए है।

भारत में कोयले के बारे में

- भारत कोयले के विशाल भंडार का घर है, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए 1774 से एक वाणिज्यिक कोयला-खनन उद्योग परिचालन में है।
- 2018 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उपमहाद्वीप में 319 बिलियन टन से अधिक प्रमाणित, संकेतित और अनुमानित कोयला भंडार है।
- सिद्ध-संसाधन के आधार पर, भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देशों में पांचवें स्थान पर है।
- यह चीन के बाद शीर्ष कोयला उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पर है।
- भारत में लगभग 98% कोयला ईंधन गोंडवाना कोयले से आता है - जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले बने जीवाश्म ईंधन का सबसे पुराना प्रकार है।
- 70% कोयला ईंधन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों से आता है।



'फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण (SPI)' योजना के लिए दिशानिर्देश

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग ने इस साल मार्च में 'फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करने' (एसपीआई) योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

- मंत्रालय ने व्यवसाय करने में अधिक सुगमता लाने और MSME के लिए अधिक लाभ शामिल करने के लिए फार्मा क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रमुख बिंदु

यह योजना देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और MSME को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए आवश्यक समर्थन के संदर्भ में बढ़ती मांग को संबोधित करेगी।

- यह योजना वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ आती है।
- यह भारत को फार्मा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने में मदद करेगा।
- योजना के तहत सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।
- इसके अलावा, SME और MSME की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत करने के लिए ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों (WHO-GMP या अनुसूची-M) को पूरा किया जा सके।
- ◆ उनके पूंजी ऋणों पर ब्याज सबवेंशन या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो आगे चलकर मात्रा के

साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी।

- योजना के 3 घटक/उप-योजनाएं हैं:

सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF)- मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत करने के लिए साझा सुविधाओं का निर्माण करके उनके निरंतर विकास के लिए।

- ◆ फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (PTUAS) - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (MSME) की सुविधा के लिए।
- ◆ फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइसेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS) - अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस के निर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर के विकास और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए।

भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) – 2030

रेल मंत्रालय के तहत भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) तैयार की है।

- योजना 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली बनाने की है।



प्रमुख बिंदु

NRP का उद्देश्य परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है ताकि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% किया जा सके।

- योजना का उद्देश्य मांग के आगे क्षमता का निर्माण करना है, जो बदले में 2050 तक मांग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा करेगा और माल ढुलाई में रेलवे के मोडल शेयर को बढ़ाकर 45% करना और इसे बनाए रखना जारी रखना।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) सहित सभी संभावित वित्तीय मॉडलों पर विचार किया जा रहा है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं की पहचान की गई है:-

- मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल ढुलाई के समय को काफी हद तक कम करें।
- राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 शुरू किया गया है जैसे:
 - ◆ 100% विद्युतीकरण,

- ◆ भीड़भाड़ वाले मार्गों की बहु-ट्रैकिंग,
- ◆ दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर गति को बढ़ाकर 160 किमी प्रति घंटा करना,
- ◆ अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्ण विकर्ण (GQ/GD) मार्गों पर गति को 130 किमी प्रति घंटे तक अपग्रेड करना,
- ◆ सभी GQ/GD रूटों पर सभी समपारों को हटाना।
- नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करें।
- नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करें।
- यात्री यातायात के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए वैगन की आवश्यकता के लिए रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता का आकलन करें।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और फ्रेट मोडल शेयर बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का आकलन करें।
- समय-समय पर ब्रेक अप के साथ पूंजी में कुल निवेश का आकलन करें जिसकी आवश्यकता होगी।
- जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी:
 - ◆ चल स्टॉक का संचालन और स्वामित्व,
 - ◆ माल और यात्री टर्मिनलों का विकास,
 - ◆ ट्रैक अवसंरचना आदि का विकास/प्रचालन।

भारतीय रेलवे के बारे में: संक्षिप्त इतिहास

- एक लंबे दशक की निष्क्रियता के बाद, 1844 में भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निजी उद्यमियों को रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई।
- वर्ष 1845 तक दो कंपनियों का गठन किया गया जिसका नाम था "ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी" और "ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे"।
- भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली रेलवे बॉम्बे से ठाणे तक 21 मील की दूरी पर चली।
- बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोर घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार सबसे पहले श्री जॉर्ज क्लार्क के दिमाग में आया।
 - ◆ वे बंबई सरकार के मुख्य अभियंता थे।
- औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब 14 रेलवे गाड़ियां लगभग 400 मेहमानों को लेकर बोरीबंदर से रवाना हुईं।
- 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री ट्रेन 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए नियत हावड़ा स्टेशन से निकली।
- दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई, 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी।
 - ◆ यह व्यासपदी जीवा निलयम (व्यासरपंडी) और वालाजाह रोड (आरकोट) के बीच 63 मील की दूरी पर चलती थी।
- उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई।
- 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील था।
- 1866: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन किया गया।
- 1901 में एक रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति वाइसराय, लॉर्ड कर्जन द्वारा बरकरार रखी गई थी।
- 1925: भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया।
 - ◆ इसके अलावा, पहला इलेक्ट्रिक रेलवे उसी वर्ष संचालित किया गया था।

- 1947 में आजादी के समय, रेलवे का एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन नवगठित पाकिस्तान में चला गया।
- पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली 32 लाइनों सहित कुल 42 अलग-अलग रेलवे प्रणालियों को एक इकाई के रूप में समामेलित किया गया, जिसे भारतीय रेलवे के रूप में जाना जाने लगा।
- 1951 में मौजूदा रेल नेटवर्क को जोनों के पक्ष में छोड़ दिया गया और 1952 में कुल 06 जोन अस्तित्व में आए।
- जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, लगभग सभी रेलवे उत्पादन इकाइयों का स्वदेशीकरण किया गया।
- 1985 तक, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों के पक्ष में भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था।
- 1995 में संपूर्ण रेलवे आरक्षण प्रणाली को कम्प्यूटरीकरण के साथ सुव्यवस्थित किया गया।

भारतीय रेलवे क्षेत्र

- भारतीय रेलवे भौगोलिक रूप से जोनों में संगठित है।
- वर्तमान में 17 जोनेल रेलवे (मेट्रो रेलवे, कोलकाता सहित) हैं।

	Zones	Route Km	Headquarters	Divisions
1	Central (CR)	3905	Mumbai	Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur
2	East Central (ECR)	3628	Hajipur	Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur
3	East Coast (ECoR)	2572	Bhubaneswar	Khurda Road, Sambalpur, Visakhapatnam
4	Eastern (ER)	2414	Kolkata	Howrah, Sealdah, Asansol, Malda
5	North Central (NCR)	3151	Allahabad	Allahabad, Agra, Jhansi
6	North Eastern (NER)	3667	Gorakhpur	Izzatnagar, Lucknow, Varanasi
7	North Western (NWR)	5459	Jaipur	Jaipur, Ajmer, Bikaner, Jodhpur
8	Northeast Frontier (NFR)	3907	Guwahati	Alipurduar, Katihar, Rangia, Lumding, Tinsukia
9	Northern (NR)	6968	Delhi	Delhi, Ambala, Ferozpur, Lucknow, Moradabad
10	South Central (SCR)	5803	Secunderabad	Secunderabad, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded, Vijayawada
11	South East Central (SECR)	2447	Bilaspur	Bilaspur, Raipur, Nagpur
12	South Eastern (SER)	2631	Kolkata	Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi
13	South Western (SWR)	3177	Hubli	Hubli, Bangalore, Mysore
14	Southern (SR)	5098	Chennai	Chennai, Tiruchirappalli, Madurai, Palakkad, Salem, Trivandrum
15	West Central (WCR)	2965	Jabalpur	Jabalpur, Bhopal, Kota
16	Western (WR)	6182	Mumbai	Mumbai Central, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara
17	Kolkata Metro	24.5	Kolkata	

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 (EoDB 2.0) और ईज ऑफ लिविंग के अगले चरण की घोषणा की थी।

- यह नया चरण राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मैनुअल प्रक्रियाओं और हस्तक्षेपों के डिजिटलीकरण, I.T. के माध्यम से केंद्रीय और राज्य-स्तरीय प्रणालियों के एकीकरण द्वारा निर्देशित होगा।

- हाल ही में, वित्त मंत्री ने EoDB 2.0 के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों को दोहराया।

मुख्य बिंदु

पूँजी और मानव संसाधनों की उत्पादक दक्षता में सुधार के लिए सरकार का प्रयास, और सरकार 'विश्वास आधारित शासन' के विचार का पालन करेगी।

- 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' की दिशा में काम करते हुए, हाल के वर्षों में 25,000 से अधिक कानून कम किए गए और 1,486 केंद्रीय कानून निरस्त किए गए।
- इन उपायों से सभी मानकों में भारत की व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हुआ है।
- हरित मंजूरी: वित्त मंत्री ने आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, PARIVESH के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा।
 - ◆ इकाइयों के स्थान के आधार पर विशिष्ट स्वीकृतियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
 - ◆ यह एक ही फॉर्म के माध्यम से सभी चार अनुमोदनों के लिए आवेदन और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर-ग्रीन (CPC-ग्रीन) के माध्यम से प्रक्रिया की ट्रैकिंग को सक्षम करेगा।
- भूमि अभिलेख प्रबंधन: भूमि अभिलेखों के आईटी-आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
 - ◆ अनुसूची VIII की किसी भी भाषा में भूमि अभिलेखों के लिप्यंतरण की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
- सरकारी खरीद: पारदर्शिता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने के लिए, सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम शुरू किया जाएगा।
 - ◆ यह प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों को ऑनलाइन जमा करने और कहीं से भी उनकी स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी।
 - ◆ आपूर्तिकर्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए, सरकारी खरीद में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में जमानत बांड के उपयोग को स्वीकार्य बनाया जाएगा।
- AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स: सभी हितधारकों के साथ एक एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी।

यह युवाओं को रोजगार देने और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए इस क्षेत्र की अपार क्षमता का दोहन करने के तरीकों की सिफारिश करेगा।

- त्वरित कॉर्पोरेट विकास: प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के साथ त्वरित कॉर्पोरेट विकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की जाएगी।
 - ◆ इसका उद्देश्य इन कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को वर्तमान में आवश्यक 2 वर्ष से बढ़ाकर 6 महीने से कम करना है।
- 5G उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI): वित्त मंत्री ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना का भी प्रस्ताव रखा।

नैनो यूरिया उत्पादन और बिक्री

1 अप्रैल, 2022 से 10 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान, नैनो यूरिया का उत्पादन और प्रेषण 1.23 करोड़ बोतल था।

- 1 अगस्त 2021 से कुल 3.27 करोड़ बोतलें बिकी हैं, जिनमें से 2.15 करोड़ बोतलें वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बेची गईं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि नैनो यूरिया अब देश भर के किसानों द्वारा व्यापक रूप से

स्वीकार किया जा रहा है।

- उर्वरक विभाग द्वारा राज्यों की मासिक आपूर्ति योजना में नैनो यूरिया को शामिल करने से इसकी उपलब्धता और किसानों तक पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी।

नैनो यूरिया के बारे में

- नैनो यूरिया स्वदेशी रूप से विकसित एक अभिनव नैनो उर्वरक है।
- नैनो यूरिया का उत्पादन कम कार्बन फुटप्रिंट वाली ऊर्जा दक्ष पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
- इफको नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमात्र नैनो उर्वरक है और उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में शामिल है।
- नैनो यूरिया की 1 बोतल का प्रयोग प्रभावी रूप से कम से कम 1 बैग यूरिया की जगह ले सकता है।
- ICAR के सहयोग से 11,000 स्थानों पर 90 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण किया गया है।
- जब पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, तो नैनो यूरिया आसानी से रंध्रों और अन्य छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है और पौधों की कोशिकाओं द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है।
- यह फ्लोएम के माध्यम से स्रोत से पौधे के अंदर डूबने तक उसकी आवश्यकता के अनुसार आसानी से वितरित हो जाता है।
- अप्रयुक्त नाइट्रोजन को पौधे के रक्तिका में संग्रहित किया जाता है और पौधे की उचित वृद्धि और विकास के लिए धीरे-धीरे छोड़ा जाता है।
- नैनो यूरिया का छोटा आकार (20-50 NM) फसल के लिए इसकी उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है।
- उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ नैनो यूरिया के उपयोग से भी समय के साथ ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी आएगी।



AI (Artificial Intelligence) प्रौद्योगिकी की क्षमताओं में वृद्धि

रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद (DAIC) का गठन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है।

- इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में एआई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।



प्रमुख बिंदु

- परिषद का गठन टाटा संस के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में DDP द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार किया गया है।
- रक्षा संगठनों में AI आधारित प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए सचिव DDP की अध्यक्षता में रक्षा AI परियोजना एजेंसी (DAIPA) भी बनाई गई है।
- DRDO में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- सभी DRDO सिस्टम प्रयोगशालाओं ने सभी उत्पादों में AI सुविधाओं को पेश करने के लिए AI प्रौद्योगिकी समूहों को शुरू किया है।
- इसके अलावा, प्रत्येक DPSU के लिए एक एआई रोडमैप को भी अंतिम रूप दिया गया है जिसके तहत

विकास के लिए 70 रक्षा विशिष्ट AI परियोजनाओं की पहचान की गई है।

AI प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उठाए गए कदम

- डीआरडीओ के पास विभिन्न क्षेत्रों में AI में अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान के लिए तीन समर्पित प्रयोगशालाएं हैं। वे हैं:
 - ◆ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (CAIR), बेंगलुरु,
 - ◆ DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला (DYSL) AI और
 - ◆ DYST-CT (संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी)।
- CAIR स्टार्ट-अप का पोषण कर रहा है और रक्षा प्रणालियों में AI पर कौशल सेट बनाने के लिए DRDO वैज्ञानिकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहा है।
- उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (DIAT) AI और मशीन लर्निंग में प्रमाणित पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।
- DRDO की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा और उद्योग में एआई को भी बढ़ावा दिया जाता है।
- DDP ने सशस्त्र बलों के लिए एआई परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
- IAF ने यूनिट फॉर डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन, AI एक ऐप नेटवर्किंग (UDAAN) की स्थापना की है।

डीडीपी के बारे में

- रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) की स्थापना नवंबर 1962 में एक व्यापक उत्पादन बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी।
- लक्ष्य रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों, प्रणालियों, प्लेटफार्मों और अन्य उपकरणों का उत्पादन करना था।
- पिछले कुछ वर्षों में, विभाग ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं।
- रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं:
 - ◆ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
 - ◆ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
 - ◆ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)
 - ◆ मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)
 - ◆ मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
 - ◆ गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSI), आदि।

API (Active Pharmaceutical Ingredients) का आयात और घरेलू उत्पादन

भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33,320 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क ड्रग्स/ड्रग इंटरमीडिएट का निर्यात किया।

- भारतीय औषध उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

प्रमुख बिंदु

- भारत दुनिया में सक्रिय फार्मा सामग्री (API) या थोक दवाओं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- हालांकि, देश विभिन्न देशों से दवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न थोक दवाओं/API का आयात भी करता है।

- भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33,320 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क ड्रग्स/ड्रग इंटरमीडिएट का निर्यात किया।

सक्रिय फार्मा सामग्री (API) क्या है?



- सक्रिय दवा सामग्री (API) किसी भी दवा का हिस्सा है जो इच्छित स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करती है।
- यह एक दवा उत्पाद (टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्शन योग्य) का जैविक रूप से सक्रिय घटक है।
- API कच्चे माल से एक निर्दिष्ट ताकत और रासायनिक एकाग्रता के साथ उत्पादित होते हैं।
- कुछ दवाओं, जैसे संयोजन चिकित्सा, में कई API होते हैं जो अलग-अलग तरीकों से कार्य कर सकते हैं या विभिन्न लक्षणों का इलाज कर सकते हैं।
- सभी दवाएं दो मुख्य घटकों से बनी होती हैं:-
 - ◆ API केंद्रीय घटक है।
 - ◆ इसमें दवा के अलावा अन्य पदार्थ शामिल हैं जो शरीर में दवा पहुंचाने में मदद करते हैं।
- सहायक पदार्थ रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, जैसे कि दवा में मौजूद लैक्टोज या खनिज तेल।
- जब तक शरीर इनसे एलर्जी न हो, तब तक एक्सिसिएंट्स का आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी

भारत सरकार ने नीलामी के लिए 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा था, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज (कुल का 71%) 1,50,173 करोड़ रुपये की बोली के साथ बेचा गया है।


- बेचा गया कुल स्पेक्ट्रम अगले दो-तीन वर्षों में 5जी के "बेहतर कवरेज" का अनुमान लगाते हुए, देश के सभी सर्किलों को कवर करने में सक्षम होना चाहिए।



प्रमुख बिंदु

● 1,50,173 करोड़ रुपये की कुल बोली राशि में निम्नलिखित बोलियां शामिल हैं:

- ◆ अडानी डेटा नेटवर्क्स द्वारा 212 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा 43,048 करोड़ रुपये, रिलायंस जियो इंफोकॉम द्वारा 88,078 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा 18,799 करोड़ रुपये।
- ◆ सभी प्रतिभागियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक किश्त 13,365 करोड़ रुपये है।
- वार्षिक किश्तों की गणना में ब्याज दर 7.2% है और कुछ प्रतिभागी अधिक अग्रिम भुगतान कर सकते हैं।
- मैसर्स अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने एमएम वेव बैंड (26 गीगाहर्ट्ज) में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
- मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने 900, 1800, 2100, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 19,867.8 मेगाहर्ट्ज प्राप्त किया है।
- मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने 700, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
- मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 1800, 2100, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
- ध्यातव्य हो कि पहली बार 600 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की गई है।
 - ◆ हालाँकि इस बैंड के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।
 - ◆ मोबाइल टेलीफोन के लिए 600 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी विकसित नहीं हुआ है।
 - ◆ कुछ वर्षों में, यह बैंड महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है।
- 700 मेगाहर्ट्ज में, 5जी पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छी तरह से विकसित है। इसका एक बड़ा सेल आकार है और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम है।
 - ◆ यह बैंड एक अधिक रेंज और बेहतर कवरेज प्रदान करता है।
 - ◆ मैसर्स रिलायंस जियो ने पूरे भारत में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
- 800 से 2500 के बीच के बैंड के लिए, प्रतिभागियों ने मुख्य रूप से क्षमता बढ़ाने और 4जी कवरेज में सुधार के लिए स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है।
- उच्च थ्रूपुट प्रदान करने में मिड बैंड यानी 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड महत्वपूर्ण है।
 - ◆ सभी तीन मौजूदा ऑपरेटरों ने इस बैंड में स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया है।
 - ◆ परेटरों द्वारा मौजूदा 4जी क्षमता को बढ़ाने और 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5जी सेवाएं प्रदान करने की संभावना है।
- डडवेव बैंड में यानी 26 गीगाहर्ट्ज में उच्च थ्रूपुट है लेकिन बहुत कम रेंज है।
 - ◆ बैंड के कैप्टिव या गैर-सार्वजनिक नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।
 - ◆ यह बैंड दुनिया भर में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) रूप में लोकप्रिय हो रहा है।
 - ◆ उच्च घनत्व/भीड़ वाले शहरी क्षेत्रों में फाइबर के विकल्प के रूप में FWA का उपयोग किया जा सकता है।
 - ◆ इसके प्रतिभागियों ने इस बैंड में स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
- मैसर्स मेटल स्क्रीप ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएसटीसी), भारत सरकार का एक PSU नीलामकर्ता है।
- स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया, निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी और सितंबर/अक्टूबर तक 5जी सेवाएं शुरू होने की संभावना मानी जा रही है।




बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर नैनोकम्पोजिट

एक नव विकसित बायोडिग्रेडेबल, बायोपॉलिमर नैनोकम्पोजिट जो सापेक्ष आर्द्रता का पता लगा सकता है यह विशेष रूप से खाद्य उद्योग के लिए स्मार्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में आवेदन प्राप्त कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य उद्योग को पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग के लिए गैर-विषैले, जैव निम्नीकरणीय, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री की बढ़ती आवश्यकता है।
 - ◆ ऐसी सामग्री प्लास्टिक जैसी पेट्रोलियम आधारित सामग्री को बदलने में मदद कर सकती है।
- इसके अलावा, खाद्य उद्योग को वास्तविक समय में खाद्य गुणवत्ता का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सामग्री की भी आवश्यकता होती है।
- ऐसे स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सिस्टम खाद्य पैकेजिंग वातावरण के साथ बातचीत करते समय संकेतों का जवाब देते हैं।
- जल्दी खराब होने वाले पैकड खाद्य पदार्थ सापेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर नैनोकम्पोजिट विकसित किया है जो सापेक्ष आर्द्रता का पता लगा सकता है।
 - ◆ इस शोध का नेतृत्व भौतिक विज्ञान प्रभाग के प्रोफेसर प्रो.देवाशीष चौधरी और उनके INSPIRE सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) के छात्र सज्जादुर रहमान ने किया।
- इसमें दो बायोपॉलिमर, ग्वार गम (पौधे से प्राप्त विभिन्न प्रकार की फलियाँ) और एल्लिगेट (भूरे रंग के शैवाल से प्राप्त) को कार्बन डॉट्स (नैनोमटेरियल) के साथ मिश्रित किया गया था।
 - ◆ इसके परिणामस्वरूप एक नैनोकम्पोजिट फिल्म बनी जिसका उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक किया गया।

- नव विकसित नैनोकम्पोजिट फिल्म नमी के खिलाफ फ्लोरोसेंस 'ऑन-ऑफ' तंत्र पर आधारित एक उत्कृष्ट स्मार्ट सेंसर थी।
- उनका शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूलस में प्रकाशित किया गया है।
- नैनोकम्पोजिट फिल्म उच्च आर्द्रता की उपस्थिति में फ्लोरोसेंस में परिवर्तन दिखाती है।
- इसलिए, नव विकसित नैनोकम्पोजिट फिल्म सिर्फ एक यूवी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके पैक किए गए भोजन की ताजगी की निगरानी कर सकती है।
- स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग उपभोक्ताओं को पैक को खोले बिना एक ताजा उत्पाद चुनने में मदद कर सकती है।



ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम (RSF)

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने "दूरसंचार/ICT के नियामक और नीतिगत पहलुओं" पर एक क्षेत्रीय मानकीकरण मंच (RSFआरएसएफ) का आयोजन किया।

- फोरम की मेजबानी भारत के संचार मंत्रालय ने की थी।

प्रमुख बिंदु

- फोरम का विषय "दूरसंचार/ICT के नियामक और नीतिगत पहलू" है।
- क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम मानकीकरण विषयों पर चर्चा करते हुए विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान का एक मंच है।
- इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का अनुभव शामिल है जैसे:
 - ◆ सतत डिजिटल परिवर्तन और ITU मानकों की भूमिका,
 - ◆ उभरते बाजारों में डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकियों का दोहन,
 - ◆ डेटा मूल्य श्रृंखला और डिजिटल स्वास्थ्य का विकास करना।

- पैनल चर्चा का उद्देश्य विभिन्न उप-विषयों के तहत नीति और नियामक परिप्रेक्ष्य से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अनुभव के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- फोरम में भागीदारी ITU के सदस्य राज्यों, क्षेत्र के सदस्यों, एसोसिएट्स, और शैक्षणिक संस्थानों और ITU के सदस्य देश के किसी भी व्यक्ति के लिए खुली है।



ITU के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में दूरसंचार संचालन और सेवाओं का समन्वय करना है।
- मूल रूप से 1865 में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में, ITU सबसे पुराना मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- ITU का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में है।
- ITU में तीन क्षेत्र होते हैं:


रेडियो संचार (ITU-R) – रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) स्पेक्ट्रम का इष्टतम, निष्पक्ष और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करता है

- ◆ दूरसंचार मानकीकरण (ITU-T) -- दुनिया भर में दूरसंचार संचालन के मानकीकरण के लिए सिफारिशें तैयार करता है।
- ◆ दूरसंचार विकास (ITU-D) – आंतरिक संचार संचालन के विकास और रखरखाव में देशों की सहायता करता है।
- ITU इलेक्ट्रॉनिक संचार और सभी प्रकार की प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रासंगिक नियमों और मानकों को सेट और प्रकाशित करता है।
 - ◆ इसमें रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, टेलीफोन और इंटरनेट शामिल हैं।
- ITU के अधिदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उभरते देशों को अपनी खुद की दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने और विकसित करने में मदद करना है।

सरकार ने स्वदेशी 5G टेस्ट बेड के उपयोग की पेशकश की

भारत सरकार ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप और MSMEs को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है।

- यह भारत के भीतर 5G पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।



सत्यमेव जयते

Department of Telecommunications
Ministry of Communications
Government of India



प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार का प्रस्ताव अगले छह महीनों के लिए जनवरी, 2023 तक वैध है।
- यह अन्य सभी हितधारकों के लिए बहुत मामूली दर पर उपलब्ध है।
- दूरसंचार विभाग ने सभी 5G हितधारकों से 5G परीक्षण बेड सुविधाओं का उपयोग करने और नेटवर्क में अपने उत्पादों के त्वरित विकास और तैनाती के परीक्षण और सुविधा के लिए विशेषज्ञता का विशेष आग्रह किया है।
- डीओटी ने मार्च, 2018 में 224 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ भारत में 'स्वदेशी 5G टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दी थी।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 मई 2022 को स्वदेशी 5G परीक्षण बिस्तर राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- 5जी टेस्ट बेड पांच स्थानों पर उपलब्ध है, CEWIT/IIT मद्रास में इंटीग्रेटेड टेस्ट बेड और अन्य टेस्ट बेड IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर और IISc बेंगलूर में हैं।
- इस स्वदेशी परीक्षण बिस्तर का विकास 5G प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- इसके परिणामस्वरूप भारी लागत दक्षता और कम डिजाइन समय हुआ है जिसके कारण भारतीय 5G उत्पादों के विश्व स्तर पर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना है।


टाइप इन् सुपरनोवा (SNe)

वैज्ञानिकों की एक टीम ने टाइप इन् सुपरनोवा (SNe) नामक एक दुर्लभ वर्ग के सुपरनोवा की भौतिक विशेषताओं को समझ लिया है।

- टाइप इन् सुपरनोवा स्ट्रिप्ड-लिफाफा सुपरनोवा का एक दुर्लभ वर्ग है जो हीलियम-समृद्ध घने परिस्थितिजन्य माध्यम (CSM) के साथ परस्पर क्रिया करता है।

प्रमुख बिंदु

- ये SNe अद्वितीय और आवश्यक हैं क्योंकि ये आस-पास के एसएन पर्यावरण के विशिष्ट घनत्व, वेग और संरचना के बारे में पता लगाने में मदद करते हैं।
- वे सामान्य सुपरनोवा की तुलना में अधिक चमकदार होते हैं, जो विशाल तारकीय विस्फोट होते हैं जो भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं।
- SN 2019 वेप बहुत ही दुर्लभ SNe में से एक है जिसके लिए दीर्घकालिक निगरानी अभियान शुरू किया गया था।
 - ◆ इसका उद्देश्य फ्लैश आयनीकरण हस्ताक्षरों का पता लगाने के बाद भौतिक विशेषताओं को समझना था।
- यह एक अनूठा अध्ययन है जहां पर्यावरण अध्ययन के साथ SN संपत्तियों की जांच की जाती है।



सुपरनोवा क्या है?


- सुपरनोवा तब होता है जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाता है और प्रकाश के एक बड़े विस्फोट में ब्लास्ट जाता है।
- सुपरनोवा अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है जिसे इंसानों ने देखा है।
- प्रत्येक विस्फोट एक तारे का अत्यंत चमकीला, अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट है।
- सुपरनोवा संक्षिप्त रूप से संपूर्ण आकाशगंगाओं (नए टैब में खुलता है) को चमका सकता है और अपने पूरे जीवनकाल में हमारे सूर्य (नए टैब में खुलता है) की तुलना में अधिक ऊर्जा विकीर्ण कर सकता है।
- वे ब्रह्मांड में भारी तत्वों के प्राथमिक स्रोत भी हैं।

चित्र में: अब तक दर्ज किए गए सबसे चमकीले और सबसे ऊर्जावान सुपरनोवा विस्फोटों में से एक का चित्रण।

सुपरनोवा का क्या कारण है?

- एक प्रकार का सुपरनोवा एक मरते हुए विशाल तारे के कारण होता है।

- ऐसा तब होता है जब कोई तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम पांच गुना एक शानदार धमाके के साथ बाहर निकल जाता है।
- विशाल तारे अपने केंद्र या केंद्रों पर भारी मात्रा में परमाणु ईंधन जलाते हैं।
- इससे टन ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए केंद्र बहुत गर्म हो जाता है।
- गर्मी दबाव उत्पन्न करती है, और किसी तारे के परमाणु जलने से उत्पन्न दबाव भी उस तारे को टूटने से बचाता है।
- एक तारा दो विपरीत बलों के बीच संतुलन में है।
- जब किसी बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह टंडा हो जाता है।
- इससे दबाव कम हो जाता है।
- गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, और तारा अचानक गिर जाता है।



- पतन इतनी जल्दी होता है कि यह भारी तरंगें पैदा करता है जिससे तारे का बाहरी भाग फट जाता है!
- आमतौर पर एक बहुत घना कोर पीछे रह जाता है, साथ ही गर्म गैस के एक विस्तारित बादल को नेबुला कहा जाता है।
- हमारे सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक आकार के तारे का सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे घने पिंडों-ब्लैक होल को पीछे छोड़ सकता है।

देशी भारतीय बीजों की गुणवत्ता का संरक्षण

देश में देशी भारतीय फसल और पेड़ों की बीज गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए सुस्थापित प्रणाली उपलब्ध है।

- देश में 161 राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं और छह केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।

प्रमुख बिंदु

- COP-26 में, कृषि क्षेत्र में अधिक जैव विविधता का आह्वान किया गया था, हालांकि, कृषि में जैव विविधता के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पाई।
- इसलिए, भारत ने COP-26 के दौरान जैव विविधता पर कुछ भी नहीं किया है।
- हालांकि, विभिन्न फसलों और पेड़ों की देशी भारतीय किस्मों के बीजों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति है।
- राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) ने विभिन्न राज्यों में स्थित जीन बैंकों में विभिन्न फसलों और पेड़ों की 94,609 देशी भारतीय किस्मों का संरक्षण किया है।
- पौध किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण (PPV और FRA) ने भी विभिन्न फसलों की 1896 देशी भारतीय किस्मों को पंजीकृत किया है।
 - ◆ इससे किसान को इन किस्मों का व्यवसायीकरण करने में मदद मिलती है।
- इसके अलावा, देशी बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों द्वारा उनके उपयोग में सुधार करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न फसलों की अधिक उपज देने वाली और बहु तनाव सहिष्णु किस्मों का विकास कर रही है।
 - ◆ इसमें अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फल शामिल हैं।
- वृक्षों की स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के लिए 2016-17 से कृषि वानिकी पर उप-मिशन नामक एक योजना लागू की जा रही है।
 - ◆ यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है

नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (NBPGR) के बारे में



- फसल सुधार में उपयोग के लिए संयंत्र परिचय और जर्मप्लाज्म वृद्धि की गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक संगठन की स्थापना की आवश्यकता 1935 की शुरुआत में महसूस की गई थी।
- 1941 में इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की एक बैठक में इस आवश्यकता को दोहराया गया था।
- 'पौधे परिचय' के लिए भाकृअनुप योजना ने 1946 में IAR के तत्कालीन वनस्पति विज्ञान प्रभाग में कार्य करना शुरू किया।
- तत्पश्चात, 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित 'उच्च स्तरीय समिति' की सिफारिशों पर,
 - ◆ अगस्त 1976 में 'प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन' को एक स्वतंत्र संस्थान 'नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन' में अपग्रेड किया गया था।
 - ◆ जनवरी 1977 में संस्थान का नाम बदलकर 'नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज' (NBPGR) कर

दिया गया।

- ब्यूरो की स्थापना हरित क्रांति के आगमन के साथ हुई।
- NBPGR ने भारत में विभिन्न फसल पौधों के सुधार और कृषि के विविधीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ढेलेदार त्वचा रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पशुओं को ढेलेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन Lumpi-ProVac Ind का शुभारंभ किया।

- वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- मवेशियों का अबू वायरल रोग, जो अक्सर एपिज्यूटिक रूप में होता है।
- इस रोग की विशेषता त्वचा में गांठ के फटने से होती है, जो जानवर के पूरे शरीर को ढक सकती है।
- यह रक्त-पोषक कीड़ों, जैसे मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों, या टिक्स द्वारा संचरित होता है।
- यह बुखार और त्वचा पर गांठ का कारण बनता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है।
- हालांकि यह मुख्य रूप से एक वेक्टर जनित रोग है, LSD संक्रमित मवेशियों के बलगम के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है।



RAO'S ACADEMY

विद्यालय नवाचार परिषद (School Innovation Council- SIC)

विद्यालय नवाचार परिषद (SIC) शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (MIC) द्वारा जुलाई 2022 में शुरू की गई एक पहल है।

- देश के सभी स्कूलों में इसे शुरू किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- यह शिक्षकों, छात्रों और उद्योग और शिक्षा के विशेषज्ञों की एक परिषद होगी।
- इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए नवप्रवर्तन और उद्यमिता पर साल भर की गतिविधियों का संचालन करना है।
- जमीनी स्तर पर प्रभाव को रिकॉर्ड करने के लिए MIC के AIC पोर्टल के माध्यम से गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।
- AIC विभिन्न विषयों पर मानसिकता में बदलाव, जागरूकता और प्रशिक्षण को सक्षम बनाने में मदद करेगा जैसे:
 - ◆ आइडिया, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप,
 - ◆ डिजाइन सोच, बौद्धिक संपदा अधिकार,
 - ◆ शिक्षकों और छात्रों के बीच स्टार्ट-अप वित्त और मानव संसाधन।
- यह नवाचार-उन्मुख गतिविधियों के स्तर पर स्कूलों के लिए रैंकिंग प्रणाली को भी सक्षम करेगा।
- देश भर के सभी स्कूलों में AIC परिषद को लागू करने के लिए, AIC पोर्टल विकसित किया गया है जहां स्कूल अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- सभी पंजीकृत स्कूलों को AIC कैलेंडर गतिविधियों के अनुसार नवाचार से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

MoE के इनोवेशन सेल के बारे में

- शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के साथ मिलकर काम करने के लिए 'MoE's Innovation Cell' की स्थापना की है।
- इसका उद्देश्य हमारे छात्र आबादी की रचनात्मक ऊर्जा को नए विचारों और नवाचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें स्टार्ट-अप और उद्यमशील उद्यम बनाने के लिए बढ़ावा देना है।

तंबाकू किसानों के लिए विकल्प

कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA-FW) 10 तंबाकू उत्पादक राज्यों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) लागू कर रहा है।

- इसका उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणालियों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु

- तंबाकू उत्पादक 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की एक उप-योजना है।
- सीडीपी के तहत, तंबाकू उत्पादक राज्यों को तंबाकू फसलों से वैकल्पिक कृषि/बागवानी फसलों में स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों/हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है।
- पिछले पांच वर्षों यानी 2017-18 से 2021-22 के दौरान तंबाकू की खेती से कुल 1,11,889 एकड़ भूमि को अन्य वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली में स्थानांतरित किया गया है।

नोट: भाकृअनुप- केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी ने राज्यों को तंबाकू की जगह वैकल्पिक फसल प्रणाली की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVI) के बारे में



- RKVI योजना 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने शुरू में एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना (RKVI) शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।
- NDC ने 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- कृषि विभाग ने उपरोक्त संकल्प के अनुपालन में राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (RKVI) के रूप में जानी जाने वाली RKVI योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए।
- यह योजना अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुकी है और इसे दो योजना अवधियों (11वीं और 12वीं) में लागू किया गया है।
- 2013-14 तक, योजना को 100% केंद्रीय सहायता के साथ राज्य योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA) के रूप में लागू किया गया था।
- इसे 2014-15 में भी 100% केंद्रीय सहायता के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना में परिवर्तित किया गया था।

- 2015-16 से, इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बदल दिया गया है (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 100% केंद्रीय अनुदान है।
- **कार्यक्रम के उद्देश्य:**
 - ◆ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना।
 - ◆ कृषि के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
 - ◆ जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाएँ तैयार करना सुनिश्चित करना।
 - ◆ महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतराल को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
 - ◆ किसानों को अधिकतम रिटर्न देना।
 - ◆ एकीकृत तरीके से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को संबोधित करना।
- **RKVI की बुनियादी विशेषताएं:**
 - ◆ यह राज्य सरकार की योजना है।
 - ◆ आरकेवीवाई के लिए राज्य की पात्रता राज्य द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए राज्य योजना व्यय को बनाए रखने या बढ़ाने पर निर्भर है।
 - ◆ बेस लाइन व्यय का निर्धारण पिछले वर्ष से पहले के तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए औसत व्यय के आधार पर किया जाता है।
 - ◆ जिला और राज्य कृषि योजनाएँ तैयार करना अनिवार्य है।
 - ◆ यह योजना नरेगा जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित करती है।
 - ◆ यदि राज्य बाद के वर्षों में अपने निवेश को कम करता है, और RKVI बास्केट से बाहर चला जाता है, तो पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष संसाधनों को राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध करना होगा। यह एक प्रोत्साहन योजना है, इसलिए आवंटन स्वचालित नहीं हैं।
 - ◆ यह राज्यों को उच्च स्तर का लचीलापन प्रदान करेगा।
 - ◆ निश्चित समय-सीमा वाली परियोजनाओं को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।
- मंत्रिमंडल ने तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजना (राज्य योजनाएं) - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVI) को नए रूप में जारी रखने की मंजूरी दी।
- यह थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कार्याकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (RKVI-रफ्तार)।
- यह सिलसिला तीन साल यानी 2017-18 से 2019-20 के लिए 15,722 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ था।
- व्यापक उद्देश्य किसान के प्रयास को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि-व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना था।
- RKVI-रफ्तार के तहत, कृषि-उद्यमिता और नवाचारों को बढ़ावा देने के अलावा, फसल से पहले और बाद के बुनियादी ढांचे पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

MSME मंत्रालय का उद्यम पोर्टल

MSME मंत्रालय ने अपने उद्यम पोर्टल पर 1 करोड़ पंजीकरण का ऐतिहासिक उत्सव मनाया।

- जून 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की संशोधित परिभाषा को अपनाने के बाद, जुलाई, 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES



UDYAM Registration Portal



प्रमुख बिंदु

- उद्यम पोर्टल CBDT और GSTN के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
- यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, और यह MSME के लिए व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में एक कदम है।
- 25 महीनों की अवधि में, 1 करोड़ MSME ने स्वैच्छिक आधार पर उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
- इन 1 करोड़ MSME ने घोषणा की है कि वे 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, जिनमें से 1.7 करोड़ महिलाएं हैं।
- इस अवसर पर उद्यम पंजीकरण के लिए डिजी लॉकर सुविधा का भी शुभारंभ किया गया।

NIESBUD और HUL ने MoU पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करना और आपसी सहयोग के लिए अन्य पहलुओं की पहचान करना है।
- गठबंधन रोजगार सृजन को और बढ़ाएगा और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करेगा।
- इससे देश में नैनी और सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

NIESBUD के बारे में

- NIESBUD भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला एक शीर्ष संगठन है।
- यह देश में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान आदि में लगा हुआ है।

● उद्देश्य:

- ◆ संभावित और मौजूदा उद्यमियों के चयन, प्रशिक्षण, समर्थन और भरण-पोषण की प्रक्रियाओं को मानकीकृत और व्यवस्थित करना।
- ◆ प्रशिक्षण और अन्य उद्यमिता विकास संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में संस्थानों/संगठनों को समर्थन और प्रेरित करना।
- ◆ उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ बढ़ाने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के संसाधन संस्थान के रूप में कार्य करना।
- ◆ समाज के विभिन्न स्तरों के भीतर उद्यमिता विकास के प्रभाव को मापना।
- ◆ विचारों के आदान-प्रदान और परस्पर क्रिया के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना।
- संस्थान को नीति, दिशा और मार्गदर्शन इसकी शासकीय परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके अध्यक्ष एमएसडीई के मंत्री होते हैं।

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान

"स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर / स्वच्छ तट सुरक्षित सागर" अभियान सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समुद्र के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 75 दिनों का नागरिक नेतृत्व वाला अभियान है।

- देश भर में 75 समुद्र तटों पर तटीय सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समुद्र तट के प्रत्येक किलोमीटर के लिए 75 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अभियान 5 जुलाई, 2022 को शुरू हुआ और इसमें 3 रणनीतिक अंतर्निहित लक्ष्य हैं जो व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लक्षित करते हैं।
- अभियान के तीन अंतर्निहित लक्ष्य हैं:
 - ◆ जिम्मेदारी से उपभोग करें
 - ◆ घर पर कचरे को अलग करें
 - ◆ जिम्मेदारी से निपटारा करें।
- अभियान का समापन 17 सितंबर, 2022 (अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस) पर सबसे बड़े समुद्र तट सफाई कार्यक्रम के साथ होगा।
- यह भारत के 7500+ किमी समुद्र तट के 75 समुद्र तटों को कवर करेगा।
- अभियान के मुख्य दर्शकों में स्थानीय समुदाय शामिल हैं जो आजीविका के लिए महासागरों और समुद्र तटों पर निर्भर हैं, स्कूल और कॉलेज के छात्र, युवा और आम नागरिक।
- यह दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं।
- इस अभियान के माध्यम से, प्लास्टिक के उपयोग से हमारे समुद्री जीवन को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का इरादा है।
- अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप "इको मित्रम" भी लॉन्च किया गया है।



जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मेटा

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के साथ भागीदारी की है।

प्रमुख बिंदु

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मई, 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया था।
- यह पहल शिक्षकों के पेशेवर विकास को सक्षम बनाएगी ताकि उन्हें कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
- साझेदारी के तहत, EMRS (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) स्कूलों के छात्रों को AI अनुप्रयोगों को शामिल करने वाली परियोजनाओं पर सलाह दी जाएगी।
- लक्ष्य कार्यक्रम (GOAL 2.0) का दूसरा चरण 28 जून, 2022 को मेटा (पहले फेसबुक) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।
- इस पहल का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनके लिए अवसर खोलना है।
- राज्य जनजातीय कल्याण विभागों और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों से परामर्श किया जा रहा है और राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा जा रहा है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में

- दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में EMRS शुरू किया गया था।
- विचार यह था कि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाए।

- स्कूल न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है, जो कक्षा VI से XII तक के छात्रों को पूरा करता है।
- EMRS को और गति देने के लिए यह निर्णय लिया गया है, वर्ष 2022 तक, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा।
- एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समान होंगे और स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

वे खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

- 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में, 564 ऐसे उप-जिले हैं, जिनमें से 102 उप-जिलों में एक EMRS है।

इस प्रकार, वर्ष 2022 तक 462 नए स्कूल खोले जाने हैं।

फोर्टिफाइड चावल का वितरण

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है।

- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (U.T.) में भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (तत्कालीन एकीकृत बाल विकास योजना) के तहत, गढ़वाले चावल का आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान शुरू हुआ।
 - ◆ वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया था।
- परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 731962 MT फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया था।
 - ◆ वित्तीय वर्ष 2022-23 (केवल दूसरी तिमाही तक) के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6,34,079 मीट्रिक टन गढ़वाले चावल आवंटित किए गए थे।

नोट: केंद्र ने 2019 में एनीमिया से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत तीन साल के लिए इसके वितरण के लिए एक पायलट योजना शुरू की थी।

फोर्टिफाइड चावल क्या है?



- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) किलेबंदी को इस प्रकार परिभाषित करता है-
 - ◆ चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन और खनिजों जैसे लोहा, आयोडीन, जस्ता, विटामिन A और D को शामिल करना ताकि पोषण मूल्य में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।
- जोड़ी गयी मात्रा अनुशंसित दैनिक भत्तों (RDA) के तहत कम और अच्छी तरह से है और सुरक्षित खपत के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से विनियमित है।
- फोर्टिफाइड के लिए लोगों के खाने के पैटर्न या भोजन की आदतों में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रक्रिया किसी भी खाद्य विशेषताओं- सुगंध, बनावट या स्वाद को भी नहीं बदलती है।

भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है?

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 (NFHS-5) से पता चला है कि देश में 6 से 23 महीने की उम्र के लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिला।
- छह महीने से अधिक लेकिन पांच साल से कम उम्र के 67 प्रतिशत से अधिक बच्चे एनीमिक पाए गए।
- जबकि 5 से 49 वर्ष की आयु के 25 प्रतिशत पुरुष एनीमिक थे, उसी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए यह संख्या बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई।
- सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में कुपोषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। यहां तक कि जो लोग 'स्वस्थ' दिखते हैं, वे अक्सर अपने भोजन में उचित पोषण की कमी के कारण कुपोषित हो सकते हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की यह कमी, जिसे छिपी हुई भूख के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।
- खाद्य सुदृढीकरण कुपोषण से लड़ने की एक रणनीति है। अन्य में आहार का विविधीकरण और भोजन के पूरक शामिल हैं।

स्किल इंडिया ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) लॉन्च किया

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 लोगों के पूर्व कौशल को पहचानने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

- परियोजना का उद्देश्य नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के सहयोग से उन्हें कुशल बनाना है।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना का उद्देश्य अस्थिर रोजगार बाजार में इन लोगों की प्रासंगिकता बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन लोगों को प्रमाणित करना है।
- इस पहल को NDMC और संकल्प (MSDE के तहत विश्व बैंक परियोजना) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और NSDC द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- पहले चरण में 25,000 कामगारों को कुशल बनाने के उद्देश्य से 5 अगस्त को प्रशिक्षण शुरू हुआ।
- निर्माण, बिजली, नलसाजी, मिट्टी के बर्तनों आदि में कई व्यवसायों में श्रमिकों को कुशल बनाया जाएगा।
- यह न केवल उन्हें डिजिटल साक्षरता और उद्यमशीलता के अवसरों से अवगत कराएगा, बल्कि उन्हें तकनीकी कौशल में भी उन्नत करेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को दो साल के लिए दुर्घटना बीमा का अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL)/अपस्किलिंग प्रोग्राम को तीन चरणों में सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) और उनके पैनल में शामिल प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- इसके अलावा, कार्यान्वयन के दो तरीके होंगे -

शिविरों के माध्यम से आरपीएल, जिसके तहत औद्योगिक और पारंपरिक समूहों को लक्षित किया जाएगा और नियोक्ता के परिसर में RPL जिसे नियोक्ता के स्थान पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण के लिए उद्योगों और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी में आगे बढ़ाया जाएगा।

पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) के बारे में

- RPL या पूर्व शिक्षण मूल्यांकन और मान्यता (PLAR), स्किल इंडिया की प्रमुख योजना PMKVY का एक घटक है।
- यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल सेट, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- यह प्रक्रिया देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ जोड़ने में मदद करती है। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और कौशल अंतर को कम करने में मदद करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बारे में



- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत जुलाई, 2008 में निगमित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।
- NSDC की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में की गई थी।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की शेयर पूंजी का 49% हिस्सा है। जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% शेयर पूंजी है।
- NSDC का उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा, संगठन स्केलेबल और लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल बनाने के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- NSDC, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को वित्त पोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

SANKALP के बारे में

- आजीविका संवर्द्धन के लिये कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता- संकल्प (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion- SANKALP) विश्व बैंक से ऋण सहायता के साथ कौशल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है।
- SANKALP का लक्ष्य तीन प्रमुख क्षेत्रों में काम करना है, अर्थात्
 - i. केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढीकरण;

- ii. कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता आश्वासन;
- iii. कौशल विकास कार्यक्रमों में हाशिए की आबादी को शामिल करना।



- संकल्प 19 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था और इसका कार्यकाल मार्च 2023 तक है।
- परियोजना के परिणामों को परिणाम ढांचे और एमएसडीई और विश्व बैंक के बीच सहमत संवितरण लिंकड संकेतक (DLI) के माध्यम से मापा जाता है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के बारे में

- NSQF एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित ढांचा है जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर हासिल करने में सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है।
- इन स्तरों को, एक से दस तक की श्रेणी में, सीखने के परिणामों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो शिक्षार्थी के पास होना चाहिए।
 - ◆ यह इस बात पर ध्यान दिए बिना है कि क्या वे औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
- इसलिए, यह राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित कौशल और गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है।
- यह एक व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने, नौकरी के बाजार में पारगमन और एक उपयुक्त समय पर, अपनी दक्षताओं को और उन्नत करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस आने में सक्षम करेगा।
- भारत में NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था।

कृषि उड़ान 2.0

कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 58 हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है, यह मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है।



कृषि उडान के बारे में

कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी ताकि इससे उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।

- इस योजना का उद्देश्य सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबद्ध रसद सुनिश्चित करना है।
- यह योजना विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लक्षित करती है।

कृषि उड़ान 2.0 के बारे में

- कृषि उड़ान 2.0 कृषि-कटाई और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने की दृष्टि रखता है।
- इस योजना का प्रस्ताव हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का है।
- मंत्रालय सभी घरेलू एयरलाइनों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और रूट नेविगेशन सुविधाओं के शुल्क पर पूर्ण छूट प्रदान करेगा।
 - ◆ हवाई अड्डों और बंद हवाई अड्डों पर कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- हब और स्पोक मॉडल और फ्रेट ग्रिड के विकास को सुगम बनाकर हवाई अड्डों और बंद हवाई अड्डों पर कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- ई-कुशल का विकास (सतत समग्र कृषि-रसद के लिए कृषि उड़ान)।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के साथ ई-कुशल का एकीकरण भी प्रस्तावित है।

खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र

भारत सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEK) की स्थापना कर रही है।

- यह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Fashion Technology-NIFT) के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- नया उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में निफ्ट दिल्ली (हब सेंटर) में बनेगा और इसके चार प्रवक्ता गांधीनगर, कोलकाता, शिलांग और बंगलुरु में होंगे।
- इसका उद्देश्य खादी संस्थानों को भारतीय और वैश्विक बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले विभेदित खादी उत्पादों को प्रभावी ढंग से डिजाइन, उत्पादन और विपणन करने में मदद करना है।
- परियोजना के तहत, COK ने खादी के लिए एक ज्ञान पोर्टल बनाया है जिसमें प्रतिकृति के लिए खादी संस्थानों द्वारा देखने के लिए स्केच के साथ डिजाइन और विनिर्देश अपलोड किए जाते हैं।
- परियोजना के उद्देश्य हैं:
 - ◆ मौसम-वार रंग पूर्वानुमान/फैशन प्रवृत्तियों के आधार पर नए कपड़े/उत्पादों का निर्माण।
 - ◆ उच्च स्तर के घरेलू और वैश्विक बाजार के लिए खादी के कपड़े और कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करना।

- ◆ नए खादी के कपड़े और उत्पादों के बारे में दिलचस्प आख्यान बनाकर ब्रांड प्रचार।
- ◆ नए खादी उत्पादों के लिए विजुअल मर्चेन्डाइजिंग और पैकेजिंग बनाना।
- ◆ खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों का आयोजन करके या उनमें भाग लेकर खादी की वैश्विक पहुंच में वृद्धि करना।

KVIC के बारे में



कामये दुरवतप्रानाम्। प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- अप्रैल 1957 में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य अपने हाथ में ले लिया।
- उद्देश्य:
 - ◆ रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
 - ◆ बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
 - ◆ रीबों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करने और एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करने का व्यापक उद्देश्य।
- KVIC पर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन का प्रभार है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।

- 2015 में, प्रधान मंत्री ने 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया।



प्रमुख बिंदु


- हथकरघा क्षेत्र देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की कुंजी है क्योंकि 70% से अधिक हथकरघा बुनकर और संबद्ध कामगार महिलाएं हैं।
- पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था।
- इस दिन हथकरघा बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाता है और इस देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला जाता है।
- भारत में, कृषि के बाद, हथकरघा सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है।
- देश में यह क्षेत्र लगभग 43.31 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- नवीनतम हथकरघा जनगणना (2019-2020) के अनुसार, देश में लगभग 31.44 लाख हथकरघा परिवार हैं।
- भारत में, हथकरघा क्षेत्र कपड़ा उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है और देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है।

भारत में हथकरघा क्षेत्र के बारे में

- भारत का हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है।
- भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट कारीगरी की एक लंबी परंपरा है जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है।
- भारत के हथकरघा कलाकार विश्व स्तर पर अपनी अनूठी हाथ कताई, बुनाई और छपाई शैली के लिए जाने जाते हैं।
- वे देश के छोटे कस्बों और गांवों से बाहर स्थित हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशल हस्तांतरित करते हैं।
- भारत के हथकरघा क्षेत्र को कम पूंजी गहन, पर्यावरण के अनुकूल, कम बिजली की खपत और बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होने का फायदा है।
- हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार, उद्योग देश भर में लगभग 3,522,512 हथकरघा श्रमिकों को रोजगार देता है।

RAO'S ACADEMY


Category wise share of handlooms export revenue (2020-21)



Source: The Handloom Export Promotion Council (HEPC)

- उद्योग मुख्य रूप से महिला कामगारों को रोजगार देता है, जिनकी कुल हथकरघा कामगारों में 72.29% हिस्सेदारी है।
- भारत से प्रमुख रूप से निर्यात किए जाने वाले हथकरघा उत्पाद मैट और मैटिंग, कालीन, गलीचे, चादरें, कुशन कवर और अन्य हथकरघा वस्तुएं हैं।
- 2020-21 के दौरान, देश से निर्यात किए गए मैट और मैटिंग का कुल निर्यात में 29% हिस्सा था।
- होम टेक्सटाइल भारत के कुल हथकरघा निर्यात का 60% से अधिक है।
- प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र करूर, पानीपत, वाराणसी और कन्नूर हैं।
- अप्रैल 2021-फरवरी 2022 के दौरान, भारत ने 1,693 करोड़ रुपये (229 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया।


India's handloom export trend (US\$ million)



Source: The Handloom Export Promotion Council (HEPC)

- भारत दुनिया के 20 से अधिक देशों में हथकरघा उत्पादों का निर्यात करता है।
 - ◆ कुछ शीर्ष आयातक USA, UK, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
 - ◆ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से हथकरघा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है, जो पिछले 8 वर्षों से लगातार शीर्ष आयातक है।
- 2020-21 के दौरान, देश ने 613.78 करोड़ रुपये (83 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के हथकरघा उत्पादों का आयात किया।
- भारत से कुछ अन्य हथकरघा आयातक कनाडा, ब्राजील, ग्रीस, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, थाईलैंड और श्रीलंका हैं।
 - ◆ 2020-21 के दौरान, इन देशों ने भारत के कुल हथकरघा निर्यात का 8.6% हिस्सा 141 करोड़ रुपये (US\$ 19.1 मिलियन) का था।

Country-wise exports share (2020-21)



Source: The Handloom Export Promotion Council (HEPC)

हथकरघा क्षेत्र के लिए सरकारी पहल

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP)
 - ◆ NHDP कार्यक्रम में कई घटक हैं जो हथकरघा व्यवसाय के विभिन्न चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) क्लस्टरों को वित्तीय लाभ प्रदान करता है और 2021-22 के दौरान 66 क्लस्टरों को सहायता प्रदान करता है।
- इसके अलावा, सरकार हथकरघा विपणन सहायता (HMA), शहरी हाट योजना और हथकरघा पुरस्कार प्रदान करती है।
 - ◆ यह उद्योग को विकसित करने और भारत में व्यवसायों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।
- बाजार पहुंच पहल (MAI)
 - ◆ 2018 में लॉन्च किया गया MAI, 2021 में संशोधित किया गया था और यह मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

- ◆ यह योजना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
- ◆ MAI बाजार के अध्ययन और बाजारों के विकास पर अनुसंधान के साथ उत्पाद विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित है।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (HEPC)

- HEPC का गठन 1965 में किया गया था और यह एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- परिषद भारतीय हथकरघा कपड़ों के निर्यात का समर्थन करती है और उसे बढ़ावा देती है।
- यह बाजार अध्ययन और व्यापार मिशन शुरू करके, सूचना का प्रसार करके, सरकारों को सलाह देकर और निर्यातकों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करके इस क्षेत्र की मदद करता है।
- HEPC भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन और उनमें भाग भी लेता है।

GeM पोर्टल पर सहकारिता के बोर्डिंग पर

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑन-बोर्डिंग का शुभारंभ किया।

- इस ई-लॉन्च के साथ, सभी पात्र सहकारी समितियां GeM पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने परामर्श में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) को सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए नोडल एजेंसी बनाया था।
- NCUI ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर/जमा के साथ सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस जानकारी को GeM को भेज दिया है।
- 589 सहकारी समितियों को ऑनबोर्डिंग के लिए पात्र के रूप में चुना गया है।
- NCUI और GeM अधिकारियों का एक संयुक्त कार्यबल भी गठित किया गया है जो व्यक्तिगत सहकारी समितियों को पंजीकरण के लिए ऑनबोर्डिंग और हैंडहोल्ड के लिए आग्रह करने के लिए कॉल / मेल करता है।
- सहकारी समितियों/बैंकों की ऑनबोर्डिंग चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
- पहले चरण में, सहकारी समितियों/बैंकों, जिनका टर्नओवर/जमा 100 करोड़ रुपये से अधिक है और ए ग्रेड ऑडिटिंग के साथ ऑनबोर्डिंग के लिए लिया गया है।

GeM के बारे में



- केंद्र और राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए GeM (सरकारी ई-मार्केट) को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून को GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सहकारी समितियों को अनुमति देने के लिए GeM के लिए जनादेश का विस्तार करने की मंजूरी दी थी।
- सहकारिताओं को खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होंगे।
- वे देश भर में उपलब्ध लगभग 45 लाख प्रमाणित विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से एक ही मंच पर खरीदारी करने में सक्षम होंगे।
- इसके अलावा, इससे समय की बचत होगी और सहकारी समितियों के लिए प्रशासनिक लागत में कमी आएगी।

PMAY-U 31 दिसंबर 2024 तक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 तक प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- पहले से स्वीकृत 122.69 लाख घरों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- PMAY-U: सबके लिए आवास, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लागू की गई है और 25 जून 2015 को शुरू की गई थी।
- मिशन स्लमवासियों सहित EWS/LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है।
- इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- यह योजना देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर, और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित शहरों को कवर करती है।
- योजना चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:
 - ◆ लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (BLC),
 - ◆ साझेदारी में किफायती आवास (AHP),
 - ◆ इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR),
 - ◆ व क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

The Scheme is being implemented through the following four verticals:

Subsidy for Beneficiary-Led Individual house construction or enhancement	Affordable Housing in Partnership	"In-Situ" Slum Redevelopment	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy Scheme*
<ul style="list-style-type: none"> - For Individuals of EWS category requiring individual house - State to prepare a separate project for such beneficiaries - No isolated/splintered beneficiary to be covered 	<ul style="list-style-type: none"> - With private sector or public sector including Parastatal agencies - Central Assistance per EWS house in affordable housing projects where 35% of constructed houses are for EWS category 	<ul style="list-style-type: none"> - Using land as a resource - With private participation -Extra FSI/TFR/FAR if required to make projects financially viable 	<p>A. Interest subsidy for EWS & LIG</p> <ul style="list-style-type: none"> - EWS: Annual household income up to ₹3,00,000 & house sizes upto 30 sq.m - LIG: Annual Household income from ₹3,00,000 to ~6,00,000 & house sizes upto 60 sq.m <p>B. Interest subsidy for MIG</p> <ul style="list-style-type: none"> - MIG: Annual household income up to ₹6,00,000 to ₹12,00,000 & house sizes upto 160 sq.m - MIGI: Annual Household income from ₹12,00,000 to ₹18,00,000 & house sizes upto 200 sq.m

PMAY(Urban) - Progress



122.69 Lakhs
Houses
Sanctioned



103.4 Lakhs
Houses Grounded



62.38 Lakhs
Houses
Completed



₹ 2.03 Lakh Cr.
Central Assistance
Committed



₹ 120212 Cr.
Central Assistance
Released



₹ 8.31 Lakh Cr.
Total Investment

YOUR SUCCESS

RAO'S ACADEMY

RIMPAC-22

RIMPAC-22 हाल ही में 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में RIMPAC-22 अभ्यास आयोजित किया गया था।

- इस बहुद्वेष्यीय अभ्यास के इस संस्करण में कुल 27 देशों ने भाग लिया।

**प्रमुख बिंदु**

- RIMPAC-22 सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया।
- एक वार्षिक अभ्यास के रूप में RIMPAC की शुरुआत 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा की गई थी।
- RIMPAC-22 की थीम 'सक्षम, अनुकूल, भागीदार' है।
- भारत ने प्रशांत महासागर में बहुराष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ पनडुब्बी रोधी, जहाज-रोधी और वायु-विरोधी युद्ध अभ्यासों में INS सतपुड़ा के साथ भाग लिया।
 - ◆ 6000 टन गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुड़ा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है।
- भारत ने पहली बार 2014 में RIMPAC में भाग लिया था, जब स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री ने अभ्यास में भाग लिया।

भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति (India-Mauritius High-Powered Joint Trade Committee)

हाल ही में भारत और मॉरीशस ने भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया।

- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- समिति का मुख्य उद्देश्य भारत-मॉरीशस CECPA के सामान्य कामकाज और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है जो पिछले वर्ष लागू हुआ था।
- CECPA, अफ्रीका के एक देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।
- दोनों पक्षों ने यह चिन्हित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक CECPA पर हस्ताक्षर के साथ ही दोनों देशों के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ, मजबूत आर्थिक संबंधों ने एक नई ऊंचाई को छुआ है।
- भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार की वृद्धि की सराहना करते हुए, जो 2021-22 में बढ़कर 786.72 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो 2019-20 में 690.02 मिलियन अमरीकी डॉलर था,
- दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इस सहमति के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाना है और विशेष रूप से के तहत द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक क्षमता का प्रयोग करना है।
- दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौते (CMMA) में प्रवेश करने की इच्छा भी व्यक्त की और जल्द ही इसके लिए चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए।

भारत - मॉरीशस ऐतिहासिक संबंध के बारे में

- भारत के आधुनिक इतिहास में मॉरीशस ने लगातार डच, फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापार नीति के माध्यम से भारत के साथ संपर्क बनाए रखा।
- 1820 के दशक से, भारतीय श्रमिक चीनी बागानों पर काम करने के लिए मॉरीशस आने लगे थे।
- 1834 से, जब ब्रिटिश संसद द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया, बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरीशस लाया जाने लगा।
- 2 नवंबर, 1834 वह दिन है जब 'एटलस' नामक जहाज भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के पहले जत्थे को लेकर मॉरीशस में उतारा था।
 - ◆ इस दिन को अब मॉरीशस में 'आप्रवासी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- कुल मिलाकर, लगभग आधा मिलियन भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को 1834 और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच मॉरीशस में लाए जाने का अनुमान है। जिनमें से लगभग दो-तिहाई मॉरीशस में स्थायी रूप से बस गए।
- बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर, गांधी जी के सुझाव पर 1907 में मॉरीशस आए थे। उन्होंने मॉरीशस के भारतीय समुदाय को स्वयं को संगठित करने में मदद की और राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष की नींव रखी।
- 12 मार्च, 1968 को मॉरीशस की स्वतंत्रता के बाद, पहले प्रधान मंत्री और मॉरीशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम ने मॉरीशस की विदेश नीति में भारत को केंद्रीयता प्रदान की।
- इसके बाद, मॉरीशस के क्रमिक नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की विदेश नीति अभिविन्यास और मॉरीशस की गतिविधियों में महत्वपूर्ण का स्थान है।
- भारत और मॉरीशस के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित किए गए थे।

मॉरीशस के बारे में

- मॉरीशस, जिसे आधिकारिक तौर पर मॉरीशस गणराज्य के रूप में जाना जाता है, हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।
- यह लैंगून और ताड़ के किनारे वाले समुद्र तटों का एक ज्वालामुखी द्वीप है, जिसके अधिकांश समुद्र तट के आसपास प्रवाल भित्तियाँ हैं।
- यह द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 2400 किलोमीटर दूर स्थित है।
- द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर से लगभग 900 किमी पूर्व और फ्रेंच रीयूनियन से 180 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है।

- द्वीपसमूह की आबादी 1.37 मिलियन (2020 में) है।
- द्वीप राज्य अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है।
- राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है।
- बोली जाने वाली भाषाएं मोरिसियन, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।



वज्र प्रहार अभ्यास 2022

भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास "वज्र प्रहार अभ्यास 2022" का 13 वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल (SFTS), बकलोह (HP) में आयोजित किया गया था।

- अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व प्रथम विशेष बल समूह (एसएफजी) और अमेरिकी विशेष बलों के विशेष रणनीति स्क्वाड्रन (STS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।

- SFTS के तत्वावधान में विशेष बल कर्मियों को खींचकर भारतीय सेना की टुकड़ी का गठन किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है।
- उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर-संचालन में सुधार करना है।
- यह वार्षिक अभ्यास वैकल्पिक रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है।
- 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लुईस मैककॉर्ड, वाशिंगटन (USA) में आयोजित किया गया था।

भारत की G20 प्रेसीडेंसी

भारत जल्द ही G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में G20 सचिवालय की स्थापना और इसकी रिपोर्टिंग संरचना को मंजूरी दी है।

- भारत की आगामी जी20 अध्यक्षता के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय जिम्मेदार होगा।

प्रमुख बिंदु


भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा।

- प्रथा के अनुसार, भारत के G20 प्रेसीडेंसी के मूल / ज्ञान / सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और रसद संबंधी पहलुओं से संबंधित कार्य को संचालने के लिए एक G20 सचिवालय की स्थापना की जा रही है।
- यह विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और डोमेन ज्ञान विशेषज्ञों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- सचिवालय फरवरी 2024 तक काम करेगा।
- सचिवालय को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा, और इसमें शामिल होंगे:
 - ◆ वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री,
 - ◆ G20 शेरपा (वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री),
 - ◆ भारत के G20 प्रेसीडेंसी को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करना।
- इसके अलावा, G20 की सभी तैयारियों की निगरानी और शीर्ष समिति को रिपोर्ट करने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी।
- जी20 सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण को सक्षम बनाएगा।

G20 के बारे में

- G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना है।
- 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएस हैं।
- G20 एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है जो दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए नीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1999 में G20 का गठन किया गया था।
- इस मंच का गठन 1997-1999 में वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित वैश्विक आर्थिक स्थितियों का समाधान खोजने के प्रयास के रूप में किया गया था।

- G7 के वित्त मंत्रियों की सलाह पर, G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए बैठकें शुरू कीं।
- नौ साल बाद, 14-15 नवंबर 2008 को, G20 देशों के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए।
- एक साथ, G20 सदस्य विश्व जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75 प्रतिशत और विश्व की 60 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक बैठक के रूप में शुरू हुआ, G20 एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में विकसित हुआ जिसमें राज्य और सरकार के प्रमुख शामिल थे।
- इसके अलावा, शेरपा बैठकें (नेताओं के बीच बातचीत और आम सहमति बनाने के प्रभारी), कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम भी पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं।
- G20 की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्यों के बीच घूमती है।
- राष्ट्रपति पद धारण करने वाला देश एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी, जिसे ट्रोइका के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलकर काम करता है।
- वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं।
- G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- G20 का 17वां समूह (G20) राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 में बाली, इंडोनेशिया में होगा।
- इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी के तहत, 2022 में G20 "एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं" विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा।



द्विपक्षीय अभ्यास 'उदारशक्ति'

भारतीय वायु सेना ने मलेशिया द्वारा आयोजित 'उदारशक्ति' नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया।

- भारतीय वायु सेना ने सुखोई-30 MKI और C-17 विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग लिया।
- यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के दल के सदस्यों को RMAF के कुछ सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों के साथ बेहतर सूचनाओं को साझा करने और सीखने का अवसर देगा।



अभ्यास अल नजफ IV

इंडो ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजफ IV हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ।

- यह भारत-ओमान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का चौथा संस्करण था, जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- अभ्यास का उद्देश्य अंतर-संचालनीयता हासिल करना और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी माहौल में परिचालन प्रक्रियाओं और युद्ध अभ्यासों से एक-दूसरे को परिचित कराना था।
- भारतीय दल मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की 18वीं बटालियन से था और ओमान की शाही सेना का प्रतिनिधित्व ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान ने किया था।
- अभ्यास तीन चरणों में आयोजित किया गया था।
- पहला चरण भाग लेने वाले दलों द्वारा हथियार, उपकरण और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास के साथ अभिविन्यास और परिचित था।
- दूसरे चरण में कॉम्बैट कंडीशनिंग, संयुक्त अभ्यास तैयार करना और उन्हें अभ्यास में लाना था।
- अंतिम चरण पहले दो चरणों के दौरान सीखे गए प्रमुख अभ्यासों और अवधारणाओं का 48 घंटे का सत्यापन अभ्यास था।

भारतीय सेना ने लॉन्च किया "हिम-ड्रोन-ए-थॉन"

भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम शुरू किया है।

- इस पहल का उद्देश्य भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना और केंद्रित अवसर प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं का विकास करना है।

प्रमुख बिंदु

HIM DRONE A-THON
BUILDING DRONE SOLUTIONS FOR FRONTLINE SOLDIERS

Product Development Categories:

- Autonomous Surveillance / Search & Rescue Drone
- Heavy Lift Logistics Drone
- Nano/ Micro drone
- More categories to be announced soon

Activities Planned:

- Interactions between Users & Development Agencies
- Visit to Forward Areas for Understanding Ground Perspective
- Handholding for Internal Development
- Facilitation of Field Trials & Product Evaluation

Shoot your queries at : ddgtechres-mod@gov.in

- स्वदेशी ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारतीय सेना का समर्थन इस सिद्धांत पर आधारित है कि 'स्वदेशी रूप से उपलब्ध अच्छा' 'विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम' से बेहतर है।

- हालांकि, रक्षा बलों द्वारा मांग की गई प्रौद्योगिकी में क्रमिक वृद्धि से बेहतर और अधिक सक्षम ड्रोन उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
- 'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम सभी हितधारकों के बीच अखिल भारतीय निरंतर संपर्क है।
- यह ऊंचाई, वजन, रेंज, सहनशक्ति आदि जैसे मात्रात्मक मानकों के साथ चरणों में आयोजित किया जाएगा।
 - ◆ इन मापदंडों को प्रदर्शित क्षमताओं के आधार पर उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा।
- प्रारंभिक बिंदु के रूप में, निम्नलिखित श्रेणियों में विकास शामिल हैं:
 - ◆ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स / लोड ले जाने वाला ड्रोन।
 - ◆ स्वायत्त निगरानी/खोज एवं बचाव ड्रोन।
 - ◆ निर्मित क्षेत्रों में लड़ने के लिए माइक्रो/नैनो ड्रोन।



RAO'S ACADEMY

भारतीय दवाओं के लिए फार्माकोपिया आयोग

भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM-H) के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की थी।

- आयोग आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए फार्माकोपिया मानकों के विकास में लगा हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- फार्माकोपिया आयोग की स्थापना फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (PCIM-H) और दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं को मिलाकर की गई थी।
- दो प्रयोगशालाएं भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया प्रयोगशाला (PLIM), गाजियाबाद और होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला (HPL) हैं।
- PCIM-H भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है।

ग्रैंड ओनियन चौलेंज

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्थापित ग्रैंड ओनियन चौलेंज को 20 जुलाई 2022-15 अक्टूबर 2022 के बीच खोला गया है।

- यह चुनौती युवा पेशेवरों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों से उत्पाद डिजाइन और प्रोटोटाइप में पूर्व-कटाई तकनीकों, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और देश में कटाई के बाद प्याज के परिवहन में सुधार के लिए विचारों की तलाश करती है।
- चुनौती डिहाइड्रेशन, प्याज के मूल्य निर्धारण और प्याज खाद्य प्रसंस्करण डोमेन में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए भी विचार चाहती है।

अकासा एयर का परिचालन

अकासा एयर ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए अपनी पहली उड़ान के साथ भारत में परिचालन शुरू किया।

- मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान संचालन का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अकासा एयर को निवेशक राकेश झुनझुनवाला और विमानन दिग्गज आदित्य घोष और विनय दुबे का समर्थन प्राप्त है।
- एयरलाइंस को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से 7 जुलाई को अपना एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र मिला।
- उद्घाटन चरण में, अकासा एयर मुंबई और अहमदाबाद के बीच 28 साप्ताहिक उड़ानों की पेशकश करेगी।
- जिसके बाद, 13 अगस्त से एयरलाइन बेंगलुरु और कोच्चि के बीच अतिरिक्त 28 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन शुरू करेगी।



भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की मरम्मत

पहली बार, एक अमेरिकी नौसेना का जहाज, चार्ल्स ड्रू, चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो (L-T) शिपयार्ड में मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए भारत पहुंचा।

- यह भारत में U.S. नौसेना के जहाज की अब तक की पहली मरम्मत है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी नौसेना ने जहाज के रख-रखाव के लिए कट्टुपल्ली में L-T के शिपयार्ड को एक अनुबंध दिया था।
- यह आयोजन वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं को दर्शाता है।
- भारतीय शिपयार्ड उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए व्यापक रेंज और लागत प्रभावी जहाज मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करते हैं।
- यह आयोजन वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं को दर्शाता है।
- यह तेजी से बढ़ रही भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ेगा।
- अप्रैल में भारत-अमेरिका 2+2 में, दोनों पक्ष जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारतीय शिपयार्ड के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए।



नोट: भारत में छह प्रमुख शिपयार्ड हैं जिनका टर्नओवर लगभग +2 बिलियन है।

भारत का पहला खारा जल लैम्प

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 'रोशिनी' नाम से भारत का पहला खारा जल लैम्प लॉन्च किया।

- लालटेन विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोडों के बीच LED लैंप को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग करता है।

प्रमुख बिंदु

- भारत की पहली खारे पानी की लालटेन जिसका नाम 'रोशिनी' है, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल खुद बिजली बनाने के लिए करती है।
- उल्लेखनीय है कि इस तकनीक का उपयोग उन भीतरी इलाकों में भी किया जा सकता है, जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है।
- जैसा कि किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित सामान्य पानी का उपयोग रोशनी लालटेन को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जो इसे लागत प्रभावी और संचालित करने के लिए व्यवहार्य बनाता है।
- लालटेन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- अपनी तरह का पहला खारा लालटेन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' लाने में सक्षम होगा, विशेष रूप से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरे समुदाय।





RAO'S ACADEMY